मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 1999–2000

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No.
Date :
** Documentation Centre **

—: अनुक्रमणिका :—

सं.क्र.	विभाग के विभिन्न घटक	पृष्ठ क्रमांक
1.	लोक शिक्षण संचालनालय	**1 - 26**
2.	मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्	**27 - 38**
3.	प्रौढ़ शिक्षा	**39 - 43**
4.	राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन	**44 - 61**
5.	मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम	**62 - 69**
6.	माध्यमिक शिक्षा मण्डल	**70 - 79**
7.	मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल	**80 - 81**

****

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 1999—2000

स्कूल शिक्षा मध्यप्रदेश

विभाग का नाम	स्कूल शिक्षा विभाग
भार साधक (विभागीय) मंत्री	श्री महेन्द्र बौद्ध
राज्य मंत्री	श्री पूरन सिंह बेड़िया
प्रमुख सचिव	डॉ0 जे0एल0बोस
सचिव	श्रीमती अमिता शर्मा
	श्री मुकेश कक्कड़
अपर सचिव	श्री टी0एस0छतवाल
उप सचिव	श्री एस0पी0गुप्ता
	श्री आर0के0तिवारी
अवर सचिव	श्री बी0डी खानवलकर
	श्री व्ही0एस0शालवार
	सुश्री सुषमा शर्मा
संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	श्रीमती सुरंजना रे
आयुक्त, लोक शिक्षण	श्रीमती अमिता शर्मा
आयुक्त, प्रौढ़ शिक्षा	श्रीमती अमिता शर्मा
संचालक, लोक शिक्षण	डा0 कोमल सिंह
संचालक, लोक शिक्षण	श्री पी0पी0सिंह
संचालक, लोक शिक्षण	श्री आर0एस0पाण्डे
संचालक, प्रौढ़ शिक्षा	डॉ0 कोमल सिंह

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 1999–2000

स्कूल शिक्षा विभाग के दायित्व, गतिविधियां एवं उपलब्धियां

स्कूल शिक्षा विभाग के दायित्व

1 पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा व्यवस्था (आदिवासी उपयोजना क्षेत्र को छोड़कर)
2 औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था ।
3 अशासकीय शैक्षणिक संस्थान की अनुदान एवं उन पर नियंत्रण
4 शिक्षकों के समुचित प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण की व्यवस्था ।
5 शिक्षण प्रशिक्षण में गुणवत्ता लाना ।
6 शिक्षा में नवाचार एवं अनुसंधान ।
7 शालाओं में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद की व्यवस्था ।
8 छात्रों के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों का निर्धारण/पुनः परीक्षण आदि ।
9 पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण तथा वितरण की व्यवस्था ।
10 छात्रों की परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था
11 निरक्षरों को (विशेषकर 15 से 35 वर्ष) साक्षर बनाना ।
12 नव साक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता एवं सतत शिक्षा का प्रबंध ।
13 निःशक्त छात्रों की शिक्षा व्यवस्था
14 सबके लिए शिक्षा व्यवस्था

विभाग के कार्य

अ स्कूल शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु राज्य स्तर पर लोक शिक्षण संचालनालय कार्यरत है। द्विस्तरीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आदेश दिनांक 20.5.99 द्वारा 1.7.99 से समस्त संभागीय कार्यालय समाप्त कर दिए गए हैं । जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की संख्या 65 है । विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय 459 हैं ।

ब स्कूल शिक्षा विभाग का अकादमिक कार्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संपादित किया जाता है । परिषद के अंतर्गत 4 राज्य स्तरीय संस्थायें, 10 शिक्षा महाविद्यालय, 45 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, 5 बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान तथा 1 पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं । यह परिषद विभाग के समस्त अकादमिक कार्य के साथ–साथ पाठ्य पुस्तकों के निर्धारण, पुनरीक्षण तथा शिक्षा में शोध एवं नवाचार का कार्य भी करती है ।

स पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण तथा वितरण का कार्य म0प्र0 पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा किया जाता है ।

द परीक्षाओं के संचालन के लिए म0प्र0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल कार्यरत है ।

क पत्राचार द्वारा 10 वी एवं हायर सेकेण्डरी की परीक्षा का संचालन म0प्र0राज्य ओपन स्कूल द्वारा किया जा रहा है ।

ख प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का कियान्वयन राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन द्वारा संपादित हो रहा है ।

ग प्रदेश में प्रौढ शिक्षा साक्षरता बढाने एवं निरक्षरता के उन्मूलन हेतु सम्पूर्ण साक्षरता अभियान चलाया जा रहा हैं जिसका संचालन प्रौढ शिक्षा संचालनालय एवं जिला साक्षरता समितियों द्वारा किया जा रहा है ।

टीप:– राज्य शासन के कार्यकारी आदेश कमांक –213/प्र.स./99 दिनांक–30.9.99 द्वारा मिडिल स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था राज्य शिक्षा मिशन के अंतर्गत की जा रही है ।

स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपे गए दायित्वों, कार्यो को पूरा करने के लिए निम्नांकित विभागाध्यक्ष कार्यालय, निगम एवं मण्डल हैं ।

1 लोक शिक्षण संचालनालय
2 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
3 प्रौढ शिक्षा संचालनालय
4 म0प्र0पाठ्य पुस्तक निगम
5 माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0
6 म0प्र0 राज्य ओपन स्कूल
7 राज्य शिक्षा मिशन म0प्र0

शिक्षा में जन भागीदारी

संविधान में 73 वे संशोधन के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशकत बनाने तथा स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित करने के लिए राज्य शासन द्वारा किए गए संकल्प स्कूल शिक्षा के

क्षेत्र में कियान्वयन करने के लिए पंचायतों एवं नगरीय निकायों को अधिकारी कर्तव्यों एवं कार्यक्रमों के विकेन्द्रीयकरण का प्रत्यायोजन किया गया है। दिनांक 30.10.96 को प्रसारित पत्र में पंचायतों को निम्नानुसार कार्य सौंपे गए :–

1 पंचायतों को अधिकारों का प्रत्यायोजन

ग्रामीण क्षेत्र स्थित सभी शालाओं तथा कनिष्ठ प्राथमिक, प्राथमिक, मिडिल, हाइ स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों का प्रबंधन एवं संचालन पंचायतों को सौंपा गया । जिसमें मोटे तौर पर निम्नानुसार कार्य होंगे :–

1 स्कूलों की प्रबंधकीय व्यवस्थ
2 स्कूलों का संचालन
3 शाला भवन निर्माण तथा विस्तार
4 शालाओं में उपकरण
5 औपचारिकेत्तर शिक्षा व्यवस्था का संचालन
6 शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति तथा शालाओं के अन्य अमले की व्यवस्था
7 प्रोत्साहन योजनाओं का कियान्वयन

2 नगरीय निकायों को अधिकारों का प्रत्यायोजन

राज्य में नवगठित नगरीय निकायों को प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारों के प्रत्यायोजन के संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय किये गये हैं इसके अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में संचालित समस्त विद्यालय नगरीय निकाय के नियंत्रण में कार्य करेंगे। इन शालाओं के संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित नगरीय निकाय का होगा । नगरीय क्षेत्रों में नवीन शालाओं की स्थापना, शिक्षा कर्मियों की नियुकित तथा शिक्षा विभाग के अन्य कार्यक्रमों का संचालन नगरीय निकाय के कार्यकारी नियंत्रण में किया जायेगा ।

प्रदेश में स्कूली शिक्षा की वर्तमान स्थिति

1 प्रारम्भिक शिक्षा को लोक व्यापीकरण

प्रारम्भिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण को अंजाम देने हेतु प्रदेश में 86858 प्राथमिक शालाऐं, 26000 शिक्षा गारंटी केन्द्र, 5056 वैकल्पिक शालाऐं, 21108 मिडिल स्कूल एवं 29536 औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र

संचालित हैं । प्राथमिक स्तर पर शालाओं में दर्ज संख्या अनुपात 114.05 है जिसमें बालकों की दर्ज संख्या अनुपात 124.22 एवं बालिकाओं की दर्ज संख्या अनुपात 102.98 है । अनुसूचित जाति एवं जन जाति के छात्र–छात्राओं की दर्ज संख्या अनुपात कमशः 126.64, एवं 95.91 है । मिडिल स्तर पर दर्ज संख्या अनुपात 65.82 है जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्र–छात्राओं की दर्ज संख्या अनुपात कमशः 68.41 एवं 40.62 है । प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन की स्थापना की गई है जिसके तहत सन 2000 तक 6 से 11 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है । बालक बालिकाओं को स्कूलों में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाए जा रहे है । प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा गणवेश प्रदाय किये जा रहे है। कक्षा 1 से 3 में अध्ययनरत सामान्य वर्ग की सभी बालिकाओं तथा इन्ही कक्षाओं में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के बालकों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जा रही हैं । प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क गणवेश प्रदान किये जा रहे हैं । जहां पर शिक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं है ऐसे ग्रामों में शिक्षा गारंटी योजना के तहत शिक्षा केन्द्र खोले गए है । अब प्रदेश में 1 किलो मीटर के दायरे में प्राथमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध करा दी गई है । प्रदेश के 34 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है ।

माध्यमिक शिक्षा

हाई एवं हायर सेकेंड्री स्तर की शिक्षा के लिये प्रदेश में 4204 हाई स्कूल एवं 4137 हायर सेकेन्ड्री स्कूल संचालित हैं । इनमे से 369 उ0मा0वि0 में व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमसंचालित हैं । प्रदेश के हाई स्कूलों में 8.52 लाख तथा हायर सेकेन्ड्री स्कूलों में 18.15लाख बच्चे अध्ययनरत हैं, जिन्हें शिक्षित करने का कार्य लगभग 77,000 शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है ।

नए विद्यालयों की स्थापना

माध्यमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु प्रदेश में दो वर्षो में तीन किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिये प्रथम वर्ष 1999–2000 में 3750 मिडिल शालाऐं खोलने का बजट प्रावधान किया गया है । इसके अलावा 18 नए हाईस्कूल खोलने तथा 2 अशासकीय हाईस्कूलों को शासनाधीन लिए जाने का बजट प्रावधान किया गया है ।

शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति

एक जुलाई 1998 से शिक्षाकर्मियों की भर्ती हेतु शासन द्वारा भर्ती तथा पदोन्नति नियम बनाए गए हैं जो कि राजपत्र ।असाधारण। दिनांक 1 जनवरी 1998 में प्रकाशित किए गये । शिक्षाकर्मियों के लिये वर्गवार निम्नानुसार वेतनमान निश्चित किया गया है जो इस प्रकार है :–

क0	शिक्षाकर्मी वर्ग	वेतनमान	नियुक्तिकर्ता अधिकारी
(1).	शिक्षाकर्मी वर्ग 1	1200.40.2000	जिला पंचायत/नगरीय निकाय
(2)	शिक्षाकर्मी वर्ग 2	1000.30.1600	--- तदैव---
(3)	शिक्षाकर्मी वर्ग 3	800.20.1200	जनपदपंचायत/नगरीयनिकाय

यही नियम स्थानीय निकायों में शिक्षाकर्मियों की भर्ती के लिए भी लागू होंगें ।

नियुक्तियॉ/पदोन्नतियां

स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय में आयुक्त प्रमुख होता है। आयुक्त लोक शिक्षण के लिये 3 संचालक कार्यरत हैं। इन 3 संचालकों में से एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी एवं दो संचालक विभागीय होते हैं, 3 अपर संचालकों के पद स्वीकृत हैं जिन पर तीनों अपर संचालक कार्यरत हैं । संयुक्त संचालकों के प्रदेश स्तर पर 21 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 8 पद संचालनालय स्तर पर स्वीकृत हैं । 13 पद जो पूर्व में संभागीय कार्यालयों के लिये स्वीकृत थे, अब संभागीय कार्यालय समाप्त हो जाने के पश्चात नौ जिलों में जो कि पूर्व में संभागीय कार्यालय थे, पर जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत रखा गया है शेष को विधि प्रकोष्ठ इंदौर, भोपाल एवं जबलपुर मे पदांकित किया गया है । संभागीय कार्यालयों की समाप्ति के उपरांत जिला स्तर पर कार्यरत उप संचालकों को जिला शिक्षा अधिकारी कहा जायेगा तथा संचालनालय स्तर पर कार्यरत उप संचालक एवं संयुक्त संचालक अभी भी अपने पूर्व पद के नाम से जाते जायेंगें । इस वर्ष माह जनवरी में उप संचालक के 29 पदों पर पदोन्नति के आदेश जारी किये जा चुके हैं । प्राचार्य संवर्ग के कुल स्वीकृत पदों में से 75 प्रतिशत पदोन्नति से एवं शेष 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं । इन पदोन्नति के पदो पर 60 प्रतिशत पद व्याख्याता संवर्ग से तथा शेष 40 प्रतिशत पद शिक्षक संवर्ग से भरे जाते हैं । इस वर्ष व्याख्याता एवं शिक्षक संवर्ग से 941 व्यक्तियों को प्राचार्य पद पर पदोन्नत किया गया है । सहायक सांख्यिकी अधिकारी से योजना अधिकारी के पद पर 10 अधिकारियों की पदोन्नति इस वर्ष की गई है । इस वर्ष विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत सीधी भती द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारियों की भर्ती की गई हैं। सभी विषयों में शिक्षक संवर्ग से व्याख्याता पद पर पदोन्नतियां की गई हैं ।

विभागीय जांच प्रकरणों का निराकरण

अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिक/विभागीय जांच प्रकरणों को समय सीमा में समाप्त करने हेतु निर्देश दिये गये । संचालनालय स्तर पर अत्यधिक पुराने प्रकरणों को समय सीमा में समाप्त करने हेतु निर्देश दिये गये । संचालनालय स्तर पर अत्यधिक पुराने प्रकरणों की समीक्षा हेतु एक समीक्षा समिति का गठन संचालक की अध्यक्षता में किया गया है।

विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन

संचालनालय स्तर पर कर्मचारियों/अधिकारियों की विभिन्न समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया गया जिनमें मुख्य समस्या निवारण प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पदोन्नति प्रकोष्ठ तथा मध्यान्ह भोजन प्रकोष्ठ एवं शिक्षाकर्मी प्रकोष्ठ है ।

समस्याओं का निराकरण

संचालनालय स्तर पर उ0मा0वि0 प्राचार्यो अवकाश, नगदीकरण, लघुकृत अवकाश, अर्जित अवकाश, जी0पी0एफ, जी0आई0एस0 तथा दोहरा कार्यभत्ता।विशेष वेतन। के अनेक प्रकरण निराकृत किये गए हैं ।

ग्राम शिक्षा समिति

शिक्षा में सामाजिक भागीदारी की आवश्यकता को अनुभव करते हुए विभाग ने प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम शिक्षा समिति गठित की तथा शिक्षा संहिता के अंतर्गत शाला विकास समिति को समाप्त कर शाला विकास समिति के सभी अधिकार एवं कर्तव्य ग्राम शिक्षा समिति को सौंपते हुए उसकी गतिविधियों को बहुआयामी तथा प्रभावी बनाने का निश्चय किया गया है । ग्राम शिक्षा समितियों के बन जाने से शिक्षकों की उपस्थिति, शालाओं के संचालन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण, दर्जसंख्या अभियान तथा शाला जाने योग्य आयुवर्ग के समस्त छात्रों को शाला में प्रवेश एवं बीच में शाला छोडने की प्रवृत्ति का नियंत्रण करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति की भागीदारी सक्रिय होगी ।

विभाग में संचालित विभिन्न योजनाए

अ– केन्द्र से सहायता प्राप्त योजनाए

1– औपचारीकेत्तर शिक्षा

यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जो भारतीय संविधान में शिक्षा के मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर सबके लिए शिक्षा हेतु प्रदेश में क्रियान्वित की गई है । शालात्यागी,

कामकाजी, वंचित, भौगोलिक क्षेत्र, सुविधा विहीन ग्रामों के कमजोर तबके के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था की गई है ।

मध्यप्रदेश में ओपचारिकेत्तर शिक्षा योजना का कियान्वयन भारत शासन के दिशा निर्देश के अनुरूप किया जा रहा है । प्रदेश के 65 शैक्षिक जिलों में 340 परियोजनाए संचालित है, जिनके अंतर्गत 34080 औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र स्वीकृत है, जिसमें 31072 प्राथमिक एवं 3008 माध्यमिक केन्द्र हैं । इन स्वीकृत केन्द्रों में से लगभग 29536 केन्द्र संचालित है ।

एक परियोजना में 80 से 120 केन्द्र होते है तथा प्रत्येक 10–12 केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु एक अंशकालीन पर्यवेक्षक होता है । प्रत्येक परियोजना हेतु एक परियोजना अधिकारी एवं उसका सहायक अमला होता है । योजना के सफल मॉनिटरिंग एवं नियोजन हेतु संचालनालय स्तर पर एक अलग प्रकोष्ठ गठित है ।

वर्तमान में प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन के उपरान्त स्थानीय निकायों को अनुदेशकों /पर्यवेक्षकों की नियुक्ति , पर्यवेक्षण, औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों का संचालन मानदेय राशियों का भुगतान, सामग्री क्रय का अधिकार प्रदत्त किया गया है । शासकीय केन्द्रों के साथ ही प्रदेश में स्वयं सेवी संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा शत–प्रतिशत अनुदान दिया जाता है । अब यह योजना संचालनालय से "राज्य शिक्षा मिशन" के अंतर्गत निर्मित "राज्य शिक्षा केन्द्र" को हस्तांतरित करने के राज्य शासन द्वारा आदेश किये गए हैं ।

2–व्यवसायिक शिक्षाः–

कोठारी शिक्षा आयोग ।।1964–66।। नें छात्र एवं छात्राओं की महाविद्यालयीन शिक्षा की ओर प्रदेश की बढती हुई भीड को कम करने व शिक्षा को रोजगारोन्नमूलक बनाने हेतु व्यवसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम पूरे देश में उ0मा0वि0 स्तर पर प्रारंभ करने की अनुशंसा की थी । नई शिक्षा नीति 1986 में सभी राज्यों को उ0मा0 स्तर पर व्यवसायिक पाठ्यक्रम कियान्वयन के निर्देश दिये गये लेकिन शिक्षा में वास्तविक प्रगति तभी प्रारंभ हुई जब भारत शासन ने केन्द्रीय योजना के माध्यम से राज्यों की आर्थिक सहायता देने की कार्यवाही वर्ष 1987–88 में प्रारंभ की । इस योजना के मुख्य उददेश्य निम्नानुसार हैः–

व्यवसायिक शिक्षा का अभिप्राय सामान्य शिक्षा का व्यावसायी करण करना नहीं अपितु व्यवसाय से संबंधित ऐसे क्षेत्रों जहां रोजगार की पर्याप्त संभावनाए हैं, के लिए समुचित पाठ्यक्रम द्वारा कुशल श्रम शक्ति तैयार करना है । इस शिक्षा प्रणाली का मुख्य लक्ष्य राष्ट्र के विकास के लिए मानव शक्ति की आवश्यकता की पूरा करना एवं समाज से बेरोजगारी दूर करना है। यह स्पष्ट है कि प्रत्येक क्षेत्र में दक्ष एवं सक्षम मानव शक्ति की समस्त सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि करके राष्ट्र को समृद्य बना सकती है ।

अभी तक 426 उ0मा0वि0 में 1112 वर्गो में 25 पाठ्यक्रम स्वीकृत किए गए थे । वर्तमान में 369 विद्यालयों के 757 वर्गो में 23 पाठ्यक्रम संचालित हैं । शासन द्वारा 33 असंचालित विद्यालयों के स्थान पर 23 नए विद्यालयों में 65 वर्ग स्वीकृत किए गए है जो वर्ष 98–99 से संचालित किए जा सकेंगें । मंत्री परिषद के निर्णयानुसार अभी तक 17 व्या0 पाठ्यक्रमों में 550 व्याख्याताओं का चयन किया जा चुका है शेष रहे अंशकालीन शिक्षकों को प्रयोग शाला सहायक के पद पर नियुक्ति देने की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है ।

केन्द्र शासन द्वारा वर्ष 1988–89 से 92 तक राशि 3168. 858 लाख विभिन्न मदों में स्वीकृत थी । सभी मदों में स्वीकृत पूर्ण राशि 1999–2000 में पूर्णतः व्यय कर ली गई है । इस योजना के अंतर्गत इंदौर में डिजाईनिंग व गारमेंट मेकिंग का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु देश के 3 केन्दों में से 1 केन्द्र स्वीकृत हुआ है । एप्रेनटिसशिप एक्ट के अंतर्गत प्रशिक्षु प्रशिक्षण का लाभ लगभग 200 छात्रों द्वारा लिया जा चुका है ।

3 आपरेशन ब्लैक बोर्ड :–

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है । प्रदेश में यह योजना वर्ष 1987 से लागू की गई है । इस योजना के तहत 19574 चयनित प्राथमिक शालाओं को पंच वर्षीय योजना के तहत शिक्षण सामग्री/उपकरण एवं बाल साहित्य पुस्तकें क्रय कर प्रदाय किया गया इसमें भारत सरकार द्वारा वर्ष 1987–88 से वर्ष 1993–94 तक चार चरण में लागू कर रूपये 4495.93 लाख स्वीकृत किया गया था जिसमें से राज्य शासन द्वारा 2729.11 लाख का उपयोग किया जाकर शेष रूपये 1866.82 लाख की राशि पुर्नजीवित न होने के कारण व्ययगत हो गई जिसका प्रावधान वर्ष 1999–2000 में तृत्रीय अनुपूरक बजट में प्रावधान हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है । भारत सरकार से भी इसकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । इन्हीं चारो चरणों में भारत सरकार द्वारा 19574 सहायक शिक्षकों के पद शिक्षा कर्मी वर्ग–3 से भरे जा चुके हैं । भारत सरकार द्वारा इनके वेतन भुगतान हेतु समय–समय पर जो राशियां प्राप्त हुई थी उनका उपयोग किया जा चुका है ।

आठवी पंचवर्षीय योजनाओं के तहत वर्ष 1999 में 22163 तीसरे शिक्षक की नियुक्ति हेतु राज्य शासन द्वारा रूपये 60 करोड का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था जिसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999–2000 में 40 करोड स्वीकृत करते हुए 20 करोड की राशि बंटित की गई है जिसका प्रावधान 1999–2000 के तृतीय अनुपूरक में करने हेतु प्रस्ताव शासन को भेजा गया है ।

भारत सरकार द्वारा 9 वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 6445 माध्यमिक शालाओं में जिसमें 4220 माध्यमिक शालाऐं आदिवासी क्षेत्रों की हैं और 2225 माध्यमिक शालाऐं गैर आदिवासी क्षेत्रों की हैं । फर्नीचर/उपकरण के लिए वर्ष 1999–2000 में उपयोग हेतु रूपये 30 करोड की राशि स्वीकृत की गई है जिसका प्रावधान वर्ष 1999–2000 के अनुपूरक बजट में किया गया है । इस राशि में से रूपये 8.90 करोड़ की राशि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तथा शेष राशि आदिवासी विकास विभाग द्वारा व्यय की जायेगी ।

वर्ष 1998–99 में भारत सरकार द्वारा 6445 माध्यमिक शालाओं में एक शिक्षक की नियुकित की जाना है जिसके विरूद्य राज्य शासन द्वारा 6445 शिक्षा कर्मी–2 की नियुक्ति की जा चुकी है और भारत सरकार द्वारा वेतन भुगतान हेतु 11.94 करोड की राशि स्वीकृत की गई है । वर्ष 1999–2000 में 12 माह के वेतन के लिए 1815 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति देने हेतु भेजा गया है ।

नवीं पंचवर्षीय योजना के तहत गैर आदिवासी क्षेत्रों की 7824 माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर/उपकरण क्रय हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तावित है । यह राशि भारत सरकार से प्राप्त होने पर उपयोग की जा सकेगी ।

4.मध्यानह भोजन कार्यक्रम–

वर्ष 1995–96 से मध्यान्ह भोजन आहार कार्यक्रम प्रदेश के 297 विकासखण्ड की शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं में लागू किया गया है । इस योजना के तहत बच्चों के लिए खाद्यान्न भारत शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है । वर्ष 97–98 में सभी विकास खण्डों में यह योजना लागू की गई है । आदिवासी विकास खण्डों में पका हुआ भोजन देने का प्रावधान है जबकि गैर आदिवासी विकास खण्डों में सितम्बर, 97 से गरम खाना देने की योजना समाप्त कर दी गई है और अब प्रतिमाह 3 किलो खाद्यान्न प्रति छात्र वितरित किया जा रहा है ।

मदरसों/मकतबों एवं शिक्षा गारण्टी योजना के तहत खोले गए केन्द्रों में भी मध्यान्ह भोजन वितरण का निर्णय लिया गया है । इस कार्यक्रम के फलस्वरूप बच्चों की उपस्थिति और स्वास्थ्य दोनों में निश्चित ही सुधार परिलक्षित हुआ है साथ ही शाला छोडने की प्रवृत्ति में भी कमी अनुभव की गई है । शिक्षा के लोक व्यापीकरण की दिशा में यह निश्चित ही सराहनीय प्रयास है ।

5. अल्प संख्यक कल्याण

संचालनालय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के गठन होने के उपरान्त अनेक कल्याणकारी योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही हैं । प्रदेश में पहली बार 2100 उर्दू शिक्षकों के पद निर्मित कर उन पदों पर शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति की गई है । पहली बार 84 उर्दू/अरबी के व्याख्याताओं के पद निर्मित कर उन पदों पर नियुक्तियां तथा पदोन्नतियां की जा चुकी है ।

केन्द्र शासन द्वारा मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण योजना के तहत पूर्व से स्वीकृत 102 मदरसों तथा इस वर्ष में स्वीकृत 106 मदरसों में आधुनिक शिक्षा हेतु नियुक्त शिक्षकों के वेतन के रूप मुं वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।

इसी प्रकार इस वर्ष 208 मदरसों के शिक्षकों को वेतन हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है । इन सभी मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना का भी लाभ दिया जा रहा है ।

इन मदरसों के शिक्षकों को एन0सी0ई0आर0टी0 के माध्यम से प्रशिक्षित कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

अल्पसंख्यकों की घनी बस्तियों के गरीब छात्रों को सुविधा देने की दृष्टि से भारत शासन द्वारा चलाई जा रही क्षेत्रीय गहन कार्यक्रम नामक योजनान्तर्गत शालाओं के भवन निर्माण हेतु पूर्व के वर्षों में राशि स्वीकृत की गई थी, उक्त राशि से भवन निर्माण कराया जा चुका है । इस वर्ष राशि रूपये 26.62 लाख का बजट में प्रावधान किया गया है ।

मदरसा बोर्ड का गठन :–

अल्प संख्यकों के विकास तथा उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने की दृष्टि से माह सितम्बर ,1998 में एक विधेयक पास कर म0प्र0 मदरसा बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके मुख्य कार्य मदरसों में पढने वाले बच्चों में शिक्षा का विकास, उनकी देखरेख तथा उन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ना, मदरसों में अध्ययनरत छात्रों की परीक्षा लेना एवं उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करना ।

मदरसा बोर्ड में अब तक लगभग 1500 मदरसों के आवेदन पत्र इस वर्ष रजिस्ट्रेशन हेतु प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से 1000 मदरसों को बोर्ड में दर्ज कर लिया गया है । शेष के लिए कार्यवाही शीघ्र की जा रही है । दर्ज मदरसों में से मान्यता प्राप्त करने वाले 200 मदरसों के आवेदन पत्र सम्बंधित जिलों को निरिक्षण हेतु भेजे जा चुके हैं । मदरसा बोर्ड द्वारा प्राथमिक स्तर तक का पाठ्यक्रम निर्मित किया जाकर शासन को प्रस्तुत किया जा चुका है जिसका अनुमोदन शीघ्र ही किया जाना है ।

मदरसों में अध्ययनरत छात्रों का इस वर्ष का वर्ष बरबाद न हो उस दृष्टि से मदरसा बोर्ड के माध्यम से मदरसों में अध्ययनरत लगभग 2000 छात्रों को इस वर्ष प्राथमिक शिक्षा प्रमाण पत्र परीक्षा में बैठाया जा रहा है । मदरसों के शिक्षकों को प्रशिक्षित किये जाने की दृष्टि से योजनाऐं बनाई जा रही हैं ।

6. क्लास प्रोजेक्ट

क्लास प्रोजेक्ट का उददेश्य कक्षा 12 वी तक के समस्त छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर का ज्ञान निःशुल्क प्रदान करना है । पूर्व में प्रदेश अंतर्गत 200 चयनित उ0मा0वि0 के कक्षा 11 वी तथा 12 वी के प्रत्येक छात्र–छात्रा को निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी । वर्तमान में 394 विद्यालयों में क्लास प्रोजेक्ट योजना लागू है तथा दिनांक 28.8.99 तक की स्थिति में इसमें 32825 छात्र/छात्राऐं इससे लाभान्वित हो रहे है । क्लास प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत छात्रों के चयन के लिए भोज विश्व विद्यालय द्वारा परीक्षाऐं आयोजित की जा रही हैं । साथ ही इसकी मॉनिटरिंग का कार्य भी भोज वि0वि0 और लोक शिक्षण

संचालनालय द्वारा साथ–साथ किये जाने का प्रस्ताव है । भोज विश्व विद्याालय द्वारा 469 शिक्षकों प्रशिक्षित किया गया है । यह प्रशिक्षक न केवल क्लास प्रोजेक्ट के अंतर्गत शिक्षण का कार्य करा रहे हैं बलकि इसमें से 45 जिला स्तर पर एम.आई.एस. केन्द्रों के इंसट्क्टर की भूमिका भी सफलता पूर्वक निभा रहे हैं । इस प्रकार सूचना तंत्र को मजबूत एवं सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं । ये इंस्ट्क्टर उन विद्यालयों में कार्यरत हैं जो कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के नजदीक स्थित है । इन समस्त विद्याालयों को शीघ्र ही अतिरिक्त कम्प्यूटर प्रदान किये जा रहे हैं । वर्ष 99–2000 में क्लास प्रोजेक्ट हेतु 10 लाख रूपये का बजट भी स्वीकृत है ।

7 क्लैप प्रोजेक्ट

कम्प्यूटर लिट्रेसी एण्ड अवेयरनेस प्रोग्राम भी छात्र–छाात्राओं को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण देने के उद्देशय से आरंभ किया गया है । लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा चयनित ऐजेंसियों द्वारा प्रदेश की लगभग 5000 शालाओं में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है । कक्षा 9 वी एवं 10 वी के छात्र–छात्राए जो इच्छुक हों, को इस कार्यक्रम के द्वारा ओ.सी.डॉस, विन्डोस व सी. बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा का प्रशिक्षण दिया जाता है । जो विद्यार्थी इसका प्रशिक्षण सपफलता पूर्वक प्राप्त कर लेते है उन्हें डी. ओ. ई. ए. सी. सी. द्वारा संचालित ओ लेबल की परीक्षा की पात्रता प्राप्त हो जाती है ।

8 विज्ञान शिक्षा में सुधार

माध्यमिक, हाईस्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की यह योजना अक्टूबर 1987 में प्रारम्भ की गई हैं । शत् प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त इस योजना में निम्नलिखित घटक हैं –

1 माध्यमिक शालाओं में विज्ञान किट का प्रदाय
2 हाईस्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं में विज्ञान प्रयोगशाला उपकरणों का प्रदाय
3 हाईस्कूल तथा उच्चतर माध्यमिक शालाओं के ग्रंथालयों में विज्ञान पुस्तकों का प्रदाय
4 शिक्षकों को प्रशिक्षण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 99–2000 में निशुल्क पाठ्यक्रम पुस्तकें क्रय हेतु राशि मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई ताकि छात्र/छात्राऐं सत्र प्रारम्भ से ही लाभान्वित हों ।

।ब । राज्य शासन द्वारा संचालित अन्य कल्याणकारी योजनाये

1 निःशुल्क पुस्तक वितरण योजनाः–

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें कक्षा 1 से 5 तक अनुसूचित जाति तथा जनजाति और अन्य पिछडे वर्ग, सामान्य वर्ग की कक्षा 3 तक की सभी बालिकाओं तथा गरीबी रेखा के नीचे के सामान्य वर्ग के परिवारों के कक्षा 3 तक के छात्रों को लागू है । पाठ्य पुस्तकें मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा प्रदाय की जाती हैं । 99–2000 में इस हेतु स्कूल शिक्षा के बजट में 675 लाख की राशि जिलों को आवंटित की गई है ।

2 बुक बैंक योजना

कक्षा 6 वीं से 12 वी तक अनुसूचित जाति/जनजाति के बालक बालिकाओं को बुक बैंक के माध्यम से पाठ्य पुस्तकें प्रदाय की जाती हैं । कक्षा 6 से 8 तक 60 लाख रूपये तथा हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के लिए 39 लाख रूपये की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं ।

3 प्राथमिक शालाओं तथा आंगनवाडियों में समन्वय :–

एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) तथा प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण का कार्यक्रम एक दूसरे के पूरक हैं । अभी तक इन कार्यक्रमों के बीच मैदानी स्तर पर समुचित समन्वय के अभाव में दोनों कार्यक्रम कारगर सिद्य नहीं हो पा रहे थे । इन दोनों कार्यक्रमों के बीच समन्वय हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को विभागाध्यक्षों द्वारा कलेक्टरों को मुख्य सचिव द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं ।

4 निःशुल्क गणवेश प्रदाय :–

गरीब तबके की बच्चियों को जो प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत हैं तथा जो अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्ग की हैं उन्हें निःशुल्क स्कूली गणवेश प्रदाय किया जाता है । इस योजना से बालिकाकओं के स्कूलों में प्रवेश एवं स्कूलों में पढाई जारी रखने में सहायता मिलती है । यह योजना पढो कमाओ योजना के तहत संचालित है जिसमें स्कूली बालिकाओं को पोशाक तैयार करने के फलस्वरूप पारिश्रमिक दिया जाता है । प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड की राशि उपलब्ध होती है जो काफी कम है ।

5 स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण की योजना :–

यह योजना मूलतः स्वास्थ्य विभाग की है । परंतु इसमें स्कूल शिक्षा विभाग की अहम भूमिका है । विभाग अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर इन कार्यक्रमों को समुचित रूप से कार्यान्वित कराने के निर्देश जारी किये गए हैं । जिलों में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन हो रहा है।

6 विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना :–

राज्य शासन द्वारा म0प्र0 में शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना क्रियान्वित करने की स्वीकृति पत्र क्र0 एफ–44–32/94/बी–2/20 दिनांक 6–10–94 द्वारा प्रदान की गई ।

उक्त योजना लागू करने का दायित्व "द न्यू इंण्डिया इंश्योरेंश कंपनी लिमिटेड" को सौंपा गया । उक्त योजना प्रारंभ में एक वर्ष के लिए लागू थी । निम्नलिखित बीमा कम्पनियों को शामिल किया गया है :–

उक्त बीमा राशि छात्र की मृत्यु पर रूपये 10,000/– , पूर्ण अपंगता पर रू0 10,000/– तथा एक अंग की क्षति एवं आंशिक अपंगता पर 5,000/– की राशि देय होती है ।

क्रमांक	बीमा कंपनी	संभाग से संबंधित जिले
1	दि न्यू इंण्डिया कंपनी लिमिटेड	दुर्ग, रायपुर, जबलपुर, बिलासपुर, उज्जैन
2	यूनाईटेड इंश्योरेंश कंपनी	सागर, रीवा, ग्वालियर, होशंगाबाद

7 शिक्षक कल्याण कार्यक्रम

1 राज्य स्तरीय पुरूस्कार

शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक संभाग से योग्यता तथा उत्कृष्टता के आधार पर उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तरीय शिक्षा सम्मान के लिए शिक्षकों का चयन किया जाता है ।। चयनित शिक्षकों को म0प्र0 के महामहिम राज्यपाल द्वारा रू 5001/– नगद, शाल, श्रीफल तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है ।

2 राष्ट्रीय पुरूस्कार

राष्ट्रीय पुरूस्कार के चयन के लिए एक राज्य स्तरीय पुरूस्कार समिति है जिसमें भारत सरकार का प्रतिनिधि होता है । म0प्र0के लिए प्रतिवर्ष 12 प्राथमिक व 6 माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरूस्कार से सम्मानित करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाता

है । महामहिम राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष 5 सितम्बर को इन्हें सम्मानित करते है । इसमें 10001 रूपये नगद एवं चांदी का मैडल (पदक) दिया जाता है ।

3 प्रतिष्ठान द्वारा प्रोफेसर (डॉ0) डी.सी.शर्मा पुरूस्कार के लिए प्रतिवर्ष 3 शिक्षकों का चयन कर रूपये 2500/– की नगद राशि तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है । म0प्र0 शिक्षक कल्याण द्वारा प्रोफेसर डी0सी0शर्मा पुरूस्कार हेतु उत्कृष्ठ शिक्षकों के नाम भारत सरकार को भेजे गए हैं ।

4 पुरूस्कारों हेतु चयनित शिक्षकों को सम्मान स्वरूप जो राशि भेंट की जाती है, वह शिक्षक कल्याण कोष से ही देय होती है ।

5 शिक्षक कल्याण राज्य के शासकीय व अशासकीय शिक्षकों को व उनके परिजनों की बीमारियों तथा हृदय रोग, केंसर आदि के लिए सहायता देता है । प्रतिष्ठान ने 8436 शिक्षकों को उपरोक्त बीमारियों के लिए लगभग 1,30,74,000 रूपयों की आर्थिक सहायता प्रदान की हैं ।

8 .सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 1999 –2000. (सिर्फ लड़कों के लिए) .

1 सैनिक स्कूल रीवा पूर्ण रूप से आवासीय स्कूल है , जिसका उददेश्य बच्चों को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित आल इण्डिया सीनियर सर्टीफिकेट परीक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी, खडगवासला पूना में प्रवेश दिलाने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है ।

प्रवेश हेतु योग्यता की पात्रता	कक्षा 6 में प्रवेश हेतु	कक्षा 9 में प्रवेश हेतु
(क) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	कक्षा 5 में पढ रहा हो	कक्षा 8 में पढ रहा हो
(ख) आयु 1 जुलाई 1999	10 से 11 साल	13 से 14 साल

निर्धारित स्थान

कक्षा 6 के लिए 80 स्थान (सामान्य42, सैनिक–20,अनु0जाति–12, अनु0ज0जाति–06) एवं कक्षा 9 के लिए 15 स्थान (सामान्य–08, सैनिक–04, अनु0जा0–02, अनु0ज0जाति–01) निर्धारित हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 7.5 प्रतिशत स्थान सुरक्षित है । रक्षा कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए 25 प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं ।

2 सैनिक स्कूल रीवा में प्रवेश लेने वाले म0प्र0 के निवासी होना चाहिये ।

3 नियमानुसार प्रवेश लिए हुए छात्रों की निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति दी जाती है

4 अन्य प्रांतों के निवासी अपने निवासीय प्रांत में स्थित सैनिक स्कूलों से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है।

5 प्रवेश परीक्षा में छात्रों को प्रति कक्षा (कक्षा 6 एवं कक्षा 9 में) एक ही बार बैठने की अनुमति दी जाती है ।

6 सैनिक स्कूल रीवा द्वारा प्रवेश हेतु किसी प्रकार की कोचिंग/एजेंट/गाइड/व गाइड पुस्तिका की मान्यता नहीं है और छात्रों को प्रवेश मैरिट एवं स्वास्थ्य परीक्षण में स्वस्थ पाए जाने पर ही दिया जाता है ।

7 सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा को प्रश्न पत्र के प्रारूप में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड आफ गवर्नस सैनिक स्कूल रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली को है।

9 क्रीड़ा एवं शारीरिक शिक्षा

1 भारत स्काउट की गतिविधियां प्रदेश की संस्थाओं में सम्पन्न की जा रही हैं मानव सेवा के लिए तत्पर उक्त संस्था द्वारा समय–समय पर जनहित में कार्य किये जाते हैं । उक्त संस्था का मुख्यालय भोपाल में हैं । वर्ष की गतिविधियों का एक कार्यक्रम संचालनालय द्वारा अनुमोदित किया जाता है । शालाओं में बालचर निधि के अंतर्गत शुल्क लिया जाता है जिसका कुछ अंश मुख्यालय को भेजा जाता है । शासन द्वारा मुख्यालय को 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है । कोमल पद, ध्रुव पद, गुरू पद की परीक्षाऐं आयोजित कर प्रमाण पत्र दिये जाते हैं । राज्यपाल एवं राष्ट्रपति पुरूस्कार के लिए वर्ष में एक बार प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाता है । छात्र–छात्राओं को जीवन में सामांजस्य, सहिष्णुता के गुणों के विकास के लिए संस्था सतत कार्यशील है ।

2 भारत की आजादी के बाद वर्ष 1957 में एन0सी0सी0 (राष्ट्रीय केडेट कोर) की स्थापना हुई । प्रदेश की उच्चतर माध्यमिक शाला में जूनियर एन0सी0सी0 के ग्रुपस कार्यरत है। उक्त दल सभी संस्थाओं में नही हैं । भारत शासन मंत्रालय के बजट के अनुरूप प्रतिवर्ष इसमें वृद्धि की जाती है ।

3 प्रदेश मे शासकीय स्तर पर 2 शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय स्कूल शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत हैं । हालांकि इनका स्तर हायर सेकेण्डरी समतुल्य है किंतु शैक्षणिक स्तर महाविद्यालय के अनुरूप निर्धारित किया गया है । पुरूषों के लिए शिवपुरी में तथा महिलाओं के लिए पेन्ड्रा, बिलासपुर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय संचालित हैं । इन महाविद्यालयों में सी0पी0एड0/डी0पी0एड0 का प्रशिक्षण दिया जाता है, इनके पाठ्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं विश्व विद्यालय का अपना योगदान है । इसमें सैद्यांतिक तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रदेश में शासकीय स्तर पर योग प्रशिक्षण संस्थान शिवाजी नगर, भोपाल में कार्यरत है । यहां पर शिक्षा विभाग के शिक्षकों हेतु तीन–तीन माह के योग प्रशिक्षण सत्र संचालित किए जाते हैं ।

4 खेल गतिविधियों के उन्नयन तथा सुचारू संचालन हेतु शासन द्वारा हाई स्कूल स्तर पर रूपये 3 प्रतिमाह ।30 रूपये प्रतिवर्ष10 माह। तथा हायर सेकेण्डरी (+2) स्तर पर रूपये 5 प्रतिमाह (50 रूपये

प्रतिवर्ष 10) माह प्रति छात्र/छात्रा क्रीडा शुल्क लागू की गई है । साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि विभाग यह सुनिश्चत करे कि उक्त राशि का व्यय खेल गतिविधियों पर ही किया जाये ।

5 खेल कूद गतिविधियों हेतु वर्ष 1999–2000 में आयोजनेत्तर मद में रूपये 34.20 लाख तथा आयोजना मद में रूपये 71.25 लाख की राशि का बजट प्रावधान हैं तथा आवासीय खेल कूद संस्थान में 28.50 लाख रूपये प्रावधानित हैं ।

6 प्रदेश में आवासीय खेलकूद संस्था सीहोर में संचालित है । इसमें कक्षा 9 वी से छात्रों को प्रवेश दिया जाता है । इसमें छात्रों को निःशुल्क भोजन, गणवेश एवं अध्ययन सुविधा के साथ–साथ फुटबाल, एथलेटिक, बॉस्केट बॉल तथा बॉलीबाल खेलों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है

7 राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के अवसर पर राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं हेतु म0प्र0 शालेय टीम का चयन किया जाता है एवं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के दस दिवस पूर्व प्री नेशनल कोचिंग केम्प का आयोजन किया जाता है । राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाले खिलाड़ियों को आवास एवं परिवहन व्यवस्था विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा रूपये 100/– प्रति दिवस प्रति छात्र के मान से भोजन भत्ता एवं रूपये 750/– गणवेश क्रय हेतु निर्धारण किया गया है ।

8 वर्ष 1999–2000 में म0प्र0 शालेय शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न संभागों में 18 राज्य स्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिता अलग–अलग खेलों में 14, 17, 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के छात्रों हेतु आयोजित कराई गई तथा प्री नेशनल कोचिंग केम्प आयोजित करवा कर म0प्र0 शालेय टीमों को विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में श्रीनगर, जम्मू, मोगा, कल्याणी, पटियाला, गुमला, दतिया, देवास में भेजा गया ।

9 इस वर्ष म0प्र0 शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंण्डिया के अंतर्गत दो राष्ट्रीय प्रतियोगिता टेबल टेनिस, बॉस्केट बाल, कबड्डी, खो–खो देवास में तथा कुश्ती, जूडो, क्रिकेट दतिया में कराई गई । देवास में म0प्र0 टीम द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जनरल चैंपियनशिप प्राप्त की ।

10 वर्ष 1999–2000 में विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अभी तक 15 स्वर्ण, 16 रजत, 16 कांस्य 25 अक्टूबर 99 को प्राप्त किये जा चुके हैं ।

11 पिछले वर्ष विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले शालेय खिलाड़ियों को भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित कर लगभग 1000 रूपये के स्पोर्टस ब्लेजर एवं प्रशस्ति पत्र का वितरण किया गया।

12 इस वर्ष राज्य स्तरीय एथेलेटिक्स प्रतियोगिता रायगढ़ में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु सीधे पर ही क्रमशः रूपये 1000, 750, 500 की धन राशि प्रदान की गई है ।

13 वर्ष 1999 के लिए जिला/संभागीय प्रतियोगिताओं के लिए आयोजन एवं संभागीय दलों की राज्य प्रतियोगिताओं में सम्मिलित कराने तथा खिलाड़ियों की भोजन व्यवसाय हेतु समस्त जिलों एवं संभागों को गत वर्ष दिये आवंटन में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है ।

संस्कृत विकास कार्यक्रम :

भारत शासन की योजना अंतर्गत संस्कृत शिक्षा के विकास हेतु वर्ष 98–99 में 73.03 लाख की राशि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। इस राशि का बजट प्रावधान स्कूल शिक्षा के प्रथम अनुपूरक बजट में किया गया है। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर कालिदास समारोह, विद्वानों को पुरस्कृत किया जाना, संस्कृत शिक्षकों का प्रशिक्षण, बच्चों को बजीफा आदि कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

स्कूल शिक्षा आयोजना बजट

वर्ष 1999–2000 की जानकारी

राशि लाखों में

क्रमांक	कार्य योजना का विवरण	प्रस्तावित प्रावधान (लाखों में)	बजट प्रावधन	वित्त विभाग द्वारा दी गई राशि	वास्तविक व्यय अप्रेल 99 से सितम्बर 99 तक	अनुमानित व्यय अक्टूबर 99 से मार्च 2000 तक	योग 6+7
1	2	3	4	5	6	7	8
प्राथमिक शाल							
1	जिला शिक्षा अधिकारी	176.36	176.36	176.36	150.00	26.36	176.36
2	बी0ई0ओ0	542.16	542.16	542.16	400.00	142.16	542.16
3	मिडिल शालाऐं	3892.40	3503.16	5303.16	1301.58	609.83	1779.83
4	प्राथमिक शालाऐं	3539.59	3539.59	3185.63	1592.80	1592.83	3185.63
5	रा.गा.प्रा.शि.मि.	2341.50	5780.50	2341.50	1264.41	2077.09	3341.50
6	रंगीन टी.वी.	25.00	25.00	25.00	21.00	4.00	25.00
7	शिक्षा में नवाचार	2.50	2.50	2.25	2.00	0.25	2.50
8	डी.आई.टी.	43.54	43.54	43.54	21.77	21.77	43.54
9	अति.वर्ग कक्षाऐं	93.00	93.00	93.00	80.00	13.00	93.00
10	फ्रिज बेनीफिट अनु. प्रा.मा.	100.00	100.00	100.00	90.00	10.00	100.00
11	निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें	750.00	750.00	675.00	675.00	—	675.00
12	निःशुल्क गणवेश	148.00	148.00	133.20	—	—	133.00
13	स्थानीयनिकायों पंचायतों के लिए अनुदान	2662.00	2395.80	2395.80	2395.80	—	2395.80
14	शाला भवन निधि	58.50	58.50	52.65	26.30	26.35	52.65

15	औपचारिकेत्तर शिक्षा	1140.60	1140.60	1140.60	570.00	570.00	1140.60
16	यूनीसेफ प्रोजेक्ट	4.82	4.82	3.34	1.67	1.67	3.34
17	संस्कृत विद्यालय	6.00	6.00	5.40	4.00	1.40	5.40
18	प्रा.एवं माध्य.• शालाओं के भवन निर्माण	1.16	1.16	1.16	0.87	0.29	1.16
19	शिक्षा गारंटी योजना	1100.00	1100.00	990.00	800.00	190.00	990.00
	योग प्रा0शि0	*16627.13*	*19410.75*	*17209.75*	*9397.2*	*5287*	*14686.47*
माध्यमिक शिक्षा							
1	बुक बैंक	110.00	110.00	99.00	99.00	—	99.00
2	एस.सी.ईआरटी. का सुदृबिकरण	9.00	9.00	8.10	6.00	2.10	8.10
3	शिक्षक प्रशिक्षण	9.00	9.00	8.10	7.00	1.10	8.10
4	शा. हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल	2939.41	2939.41	2645.47	1322.73	1322.74	2939.41
5	10+2 विद्यालय	1136.69	1136.69	1023.02	800.00	223.02	1023.02
6	साईन्स किट वर्कशाप	2.50	2.50	2.25	2.25	1.00	2.25
7	व्यावसायिक शिक्षा	588.76	588.76	530.00	330.00	200.00	530.00
8	क्लास प्रोजेक्ट	8.00	8.00	7.20	6.00	1.20	7.20
9	एस.सी.ईआरटी. में व्यावसायिक सेल	12.70	12.70	12.70	10.00	2.70	12.70
10	डी.पी.आई.	15.00	15.00	13.50	9.00	4.50	13.50
11	हाई/हायर सेकेण्डरी भवन निर्माण	162.84	162.84	162.84	122.63	40.21	162.84
12	विज्ञान शिक्षा में सुधार	3.68	3.68	3.68	2.50	1.18	3.68

13	हाई/हायर सेकंण्डरी स्कूलों का अनुदान	230.00	230.00	230.00	200.00	30.00	230.00
14	आवासीय खेलकूद संस्था सीहोर	30.00	30.00	27.00	17.00	10.00	27.00
	योग माध्य0 शिक्षा	*5257.58*	*5257.58*	*4772.86*	*2934.11*	*1839.75*	*5066.80*
	योग स्कूल शिक्षा	21884.71	24668.27	21982.61	12331.31	7126.75	19753.27

आयोजनेत्तर बजट – वर्ष 99–2000 हेतु स्कूल शिक्षा के अंतर्गत आयोजनेत्तर बजट राशि रूपये 163036.32 लाख निर्धारित है ।

शैक्षणिक संस्थान एवं नामांकन **1998 & 99**

क्र0	संस्था के प्रकार	शैक्षणिक संस्थाऐं	संस्थावार नामांकन		
			छात्र	छात्राऐं	योग
1.	हायर सेकेण्डरी स्कूल	4137	1241519	613316	1854835
2.	हाई स्कूल	4204	585275	340938	926213
3.	माध्यमिक स्कूल	21108	2261904	1326238	3588142
4.	प्राथमिक स्कूल	86858	5678802	4350746	10029548
5.	पूर्व प्राथमिक स्कूल	1668	90169	64396	154565
	कुल योग	**117975**	**9857669**	**6695634**	**16553303**

शिक्षक संख्या **1998 & 99**

क्र0	संस्था के प्रकार	संस्थावार शिक्षक संख्या			प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रतिशत	शिक्षक छात्र अनुपात
		पुरूष	महिला	योग		
1.	हायर सेकेण्डरी स्कूल	43429	18003	61432	76%	1:30
2.	हाई स्कूल	21130	7908	29038	68%	1:32
3.	माध्यमिक स्कूल	76017	32262	108279	67%	1:33
4.	प्राथमिक स्कूल	163357	64574	227931	66%	1:44
5.	पूर्व प्राथमिक स्कूल	1216	2417	3633	60%	1:43
	कुल योग	**305149**	**125164**	**430313**	**67%**	**1:38**

कक्षावार नामांकन **(1998-99)**

संस्था का प्रकार	कुल छात्र संख्या		
	छात्र	छात्राऐं	योग
पूर्व प्राथमिक स्कूल	**110520**	**81295**	**191815**
I	1568174	1239589	**2807763**
II	1339492	1042289	**2381781**
III	1189424	919291	**2108715**
IV	1039195	767886	**1807081**
V	977920	689739	**1667659**
(I TO V)	**6114205**	**4658794**	**10772999**
VI	839159	502089	**1341248**
VII	681845	397580	**1079425**
VIII	681201	374602	**1055803**
(VI TO VIII)	**2202205**	**1274271**	**3476476**
IX	**449900**	**216693**	**666593**
X	**430242**	**201655**	**631897**
(IX TO X)	**880142**	**418348**	**1298490**
XI	**279350**	**133513**	**412863**
XII	**271247**	**129413**	**400660**
(XI TO XII)	**550597**	**262926**	**813523**
कुल योग	**9857669**	**6695634**	**16553303**

कक्षावार नामांकन **(1998-99)**

संस्था का प्रकार	अनु0जाति की छात्र संख्या		
	छात्र	छात्राऐं	योग
पूर्व प्राथमिक स्कूल	**11050**	**8116**	**19166**
I	253107	203037	**456144**
II	212903	166768	**379671**
III	195890	147175	**343065**
IV	172306	119703	**292009**
V	157134	110774	**267908**
(I TO V)	**991340**	**747457**	**1738797**
VI	136169	74455	**210624**
VII	107435	54070	**161505**
VIII	103882	49357	**153239**
(VI TO VIII)	**347486**	**177882**	**525368**
IX	59637	24142	**83779**
X	57131	21684	**78815**
(IX TO X)	**116768**	**45826**	**162594**
XI	31965	10954	**42919**
XII	33488	10054	**43542**
(XI TO XII)	**65453**	**21008**	**86461**
कुल योग	**1532097**	**1000289**	**2532386**

नामांकन **(1998-99)**

संस्था का प्रकार	अनु0जनजाति की छात्र संख्या		
	छात्र	छात्राऐं	योग
पूर्व प्राथमिक स्कूल	6969	4947	**11916**
I	350952	266867	**617819**
II	276314	199779	**476093**
III	246673	165845	**412518**
IV	196602	128344	**324946**
V	165961	110851	**276812**
(I TO V)	**1236502**	**871686**	**2108188**
VI	125111	73361	**198472**
VII	101952	55197	**157149**
VIII	94015	49631	**143646**
(VI TO VIII)	**321078**	**178189**	**499267**
IX	55866	24306	**80172**
X	51072	19380	**70452**
(IX TO X)	**106938**	**43686**	**150624**
XI	27238	10564	**37802**
XII	27366	10135	**37501**
(XI TO XII)	**54604**	**20699**	**75303**
कुल योग	**1726091**	**1119207**	**2845298**

शाला त्याग दर **(1998- 99)**

	योग			अनु0 जाति			अनु0 जनजाति		
	छात्र	छात्राऐं	योग	छात्र	छात्राऐं	योग	छात्र	छात्राऐं	योग
प्राथमिक **(I TO V)**	**22.72**	**27.14**	**24.61**	**22.87**	**24.20**	**23.42**	**37.74**	**39.46**	**38.44**
माध्यमिक **(VI TOVIII)**	**10.55**	**13.74**	**11.71**	**14.95**	**19.80**	**16.57**	**14.94**	**14.97**	**14.95**
(I TO VIII)	**42.41**	**57.07**	**48.64**	**44.18**	**70.21**	**56.44**	**62.31**	**69.58**	**65.18**

अंतरण दर **(1998-99)**

	छात्र	छात्राऐं	योग
(V TO VI)	85.81	72.79	80.43
(VIII TO IX)	66.04	57.85	63.17
(X TO XI)	64.93	66.21	65.34

छात्र संख्या अनुपात **(G.E.R. 1998-99)**

प्राथमिक	छात्र	छात्राऐं	योग
योग	124.22	102.98	**114.05**
अनु0जाति	138.46	113.77	**126.64**
अनु0 जनजाति	107.99	82.78	**95.91**
माध्यमिक	छात्र	छात्राऐं	योग
योग	80.02	50.37	**65.82**
अनु0जाति	86.87	48.34	**68.41**
अनु0 जनजाति	50.17	30.46	**40.62**

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद

गठन :–

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के संकल्प दिनांक 4 नवम्बर 1982 एवं मध्यप्रदेश राज्य पत्र ।असाधारण। क्रमांक 495 दिनांक 25 दिसम्बर 1982 में जारी अधिसूचना के द्वारा परिषद की स्थापना स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक राज्य स्तरीय संस्थान के रूप में की गई।

परिषद की स्थापना के उददेश्य :–

- औपचारिक तथा औपचारिकेत्तर स्कूल शिक्षा के लिए पाठयचर्या तथा पाठ्य पुस्तकें विकसित करना ।
- शिक्षा को तकनीकी सहयोग देना ।
- उचित मूल्यांकन की तकनीकी और प्रकिया आयोजित करना ।
- शैक्षिक शोध तथा शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार कार्य करना ।
- शैक्षिक समस्याओं को हल करने में अंतर अनुशासनात्मक (इंटर–डिस्प्लिनरी) प्रकिया विकसित करना ।

प्रशिक्षण प्रभाग के लिए विभागाध्यक्ष के कार्य करना ।

परिषद का प्रशासकीय नियंत्रण

उक्त अधिसूचना के अनुसार परिषद को पृथक विभाग एवं संचालक को विभागाध्यक्ष दर्जा दिया गया । परिषद के अधीन संस्थाऐं इस प्रकार हैं :–

1 राज्य शिक्षा संस्थान, भोपाल

2 राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जबलपुर

3 आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, भोपाल

4 शिक्षा मनोविज्ञान एवं संदर्भन महाविद्यालय, जबलपुर

5 पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान, जबलपुर

6 राज्य के समस्त शासकीय शिक्षा महाविद्यालय (10) भोपाल, जबलपुर, देवास, उज्जैन, खण्डवा, ग्वालियर, छतरपुर, रायपुर, बिलासपुर, रीवा ।

7 राज्य के 45 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान एवं बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाऐं ।

8 जीवाजी वैद्यशाला, उज्जैन ।

परिषद की अकादमिक समिति :–

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की संकल्प दिनांक 4–11–82 एवं राजपत्र अधिसूचना दिनांक 25–12–82 के अनुसार शासन ने परिषद की प्रथम अकादमिक समिति का गठन आदेश कमांक एफ.73/3/बी.–2/79 दिनांक 4–8–1983 के द्वारा किया गया था ।

इसी तारतम्य में समिति का पुर्नगठन शासन के आदेश कमांक एफ.–44–32/84/बी.–2/20 दिनांक 25–1–89 द्वारा किया गया ।

शिक्षक शिक्षा

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय

प्रदेश में 10 शासकीय शिक्षा महाविद्यालय हैं । केन्द्र सरकार की शिक्षक शिक्षा सुदृढीकरण योजना के अंतर्गत इन महाविद्यालयों को इंस्टीटयूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजूकेशन (आई.ए.एस.ई.) तथा कॉलेज ऑफ टीचर एजूकेशन (सी.टी.ई.) में उन्नयन किया गया है ।

आई.ए.एस.ई.

1 भोपाल

2 जबलपुर

3 बिलासपुर

सी.टी.ई.

1 ग्वालियर

2 छतरपुर

3 खण्डवा

4 देवास

5 उज्जैन

6 रायपुर

7 रीवा

भवन

वर्तमान में शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल को छोड़कर शेष महाविद्यालय अपने भवन में संचालित हैं । शिक्षक शिक्षा सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत केन्द्र द्वारा भवनों के निर्माण/विस्तार हेतु प्राप्त राशि से विशेष मरम्मत/बुनियादी सुविधाऐं, छात्रावास निर्माण एवं आवास गृहों के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर लोक निर्माण विभाग को भेजी गई है ।

बी0एड0प्रवेश

बी.एड.पाठ्यक्रम हेतु वर्तमान में प्रदेश में 11 शासकीय एवं 24 अशासकीय महाविद्यालय हैं । बी. एड. पाठ्यक्रम में 3265 सीटों पर प्रवेश हेतु व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म0प्र0 द्वारा प्री बी.एड. परीक्षा का आयोजन किया जाता है । इसी आधार पर काउंसलिंग द्वारा बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है ।

एम0एड0प्रवेश

एम.एड. पाठ्यक्रम में विज्ञापन के आधार पर 198 अभ्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है । एम.एड. पाठ्यक्रम देवास और छतरपुर को छोड़कर शेष 8 शासकीय शिक्षा महाविद्यालय तथा राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, जबलपुर में संचालित हैं ।

सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण

सभी शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में एक वर्षीय बी.एड.पाठ्यक्रम में वरिष्ठता के आधार पर पूर्ण वेतन पर प्रदेश के सेवारत 870 अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रवेश दिया जाता है । इसी प्रकार एक वर्षीय एम. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के सेवारत 153 शिक्षकों को प्रवेश दिया जाता है ।

सेवाकालीन प्रशिक्षण

सभी शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में अप्रशिक्षित प्राचार्य हाई स्कूल/उ0मा0वि0 विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सहित शिक्षकों हेतु सेवा कालीन प्रशिक्षण आयोजित किये जाते है ।

शिक्षा में शोध

एम.एड. स्तर पर शोध के विषय संक्षेपिकाओं को राज्य स्तर पर अंतिम रूप दिया जाता है । इससे शिक्षा विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत निर्णय लेने में सुविधा होती है ।

शैक्षिक स्टाफ

शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों के लिए व्याख्याता, सहायक प्राध्यापक एवं प्राध्यापकों के भर्ती पदोन्नति नियम बने हुए है । केन्द्र सरकार से अतिरिक्त शैक्षिक स्टाफ की स्वीकृति के बाद पदों का सृजन किया जावेगा ।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)

केन्द्र प्रवर्तित शिक्षक शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश में संचालित बुनियादी प्रशिक्षण संस्थानों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में उन्नत किया गया है । इस प्रकार वर्तमान में समस्त 45 राजस्व जिलों में प्रत्येक में डाइट संचालित है । प्रत्येक डाइट में द्वि वर्षीय डी.एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में 50 प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश दिया जाता है ।

भवन

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है । अभी तक 40 डाइट्स के छात्रावास भवन, 40 डाइट्स के संस्थान भवन एवं 41 डाइट्स के आवास गृहों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ।

डाइट काडर

डाइट काडर निर्माण के प्रथम चरण में एक उप प्रचार्य 15 वरिष्ठ व्याख्याता एवं 222 व्याख्याताओं का संविलियन डाइट सेवाओं में किया गया । द्वितीय चरण में 5 उप प्राचार्य, 19 वरिष्ठ व्याख्याता एवं 146 व्याख्याताओं का संविलियन डाइट सेवाओं में किया गया ।

सेवाकालीन प्रशिक्षण

प्रत्येक डाइट द्वारा वार्षिक केलेंण्डर के आधार पर प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शिक्षकों औपचारिकेत्तर शिक्षा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं ।

डाइट फेकल्टी का प्रशिक्षण

कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षकों को क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, नीपा राज्य संस्थान केन्द्र, बाल निकेतन एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है ।

शोध एवं नवाचार

शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने की दृष्टि से डाइट के अधीन प्रायोगिक विद्यालय हैं । शिक्षक प्रशिक्षकों की छात्रों, प्रशिक्षकों एवं क्षेत्र की वास्तविक स्थिति से परिचित होने की दृष्टि से प्रत्येक सत्र में 30 घण्टे विद्यालय/औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों में स्वयं अध्यापन करना होता है ।

अधिकारों का विकेन्द्रीकरण

प्रदेश के 10 शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों को संबंधित क्षेत्र के डाइट के लिए अकादमिक प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार दिये गये हैं ।

- अनेक डाइट्स द्वारा क्षेत्र के शिक्षकों से सम्पर्क बनाए रखने के लिए बुलेटिन का प्रकाशन किया जा रहा है ।
- डाइट संदर्शिका का निर्माण किया गया है ।

पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक

- कक्षा 6 व 7 की हिन्दी, संस्कृत एवं सामाजिक अध्ययन विषयों के पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया गया ।
- 87 पाण्डु लिपियों का पुर्नरीक्षण कर पुर्नमुद्रण हेतु पाठ्य पुस्तक निगम को भेजा गया ।
- कक्षा 1 व 2 की गणित विषय की पाठ्य पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया ।

- पाठ्य पुस्तक सीयी समिति की 61 वी बैठक का जनवरी 2000 में आयोजन किया गया ।
- कक्षा 3,4 एवं 5 की अंग्रेजी भारती (एक साथ) के पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया गया ।
- अंग्रेजी विषय के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण किया गया ।
- परिषद द्वारा 5 प्राथमिक शालाओं को गोद लेकर आदर्श स्वरूप प्रदान करने के प्रयास में इन स्कूलों में शैक्षिक वातावरण निर्माण का कार्य किया गया एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया
- शैक्षिक समन्वय प्रणाली में 1682 संकुल स्तर की मासिक बैठकों के लिए (माह अगस्त से दिसम्बर 99 तक) 11 नान डी0पी0ई0पी0 जिलों को राशि उपलब्ध कराई गई ।

शिक्षक प्रशिक्षण (सीखना सिखाना पैकेज आधारित)

- अप्रेल/मई 1999 प्रदेश के 10 शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में विषय वस्तु आधारित कक्षा 5 पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रशिक्षण अंतर्गत 954 स्त्रोत व्यक्तियों का उन्मुखीकरण किया गया । जून 1999 में सभी डाइट में 5698 मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण किया गया ।
- जुलाई/अगस्त 1999 में ब्लाक स्तर पर 68816 शिक्षकों की 2 चरणों में 12 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया ।
- शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के विशिष्ट प्रशिक्षण अंतर्गत 11 गैर डी.टी.ई.पी. जिलों में प्रायोगिक तौर पर 2891 शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया ।
- शैक्षिक मॉनिटरिंग के अंतर्गत 32 जिलों में 197 प्राथमिक शालाओं का अवलोकन माह अगस्त /सितम्बर 1999 में किया गया ।
- यूनीसेफ से सहायता प्राप्त बेसिक दक्षता उपलब्धि परिक्षण अध्ययन अंतर्गत परीक्षण कार्य सम्पन्न किया गया, प्राप्त जानकारी का विशलेषण व प्रतिवेदन निर्माण का कार्य जारी है ।

शिशु शिक्षा (पूर्व प्राथमिक शिक्षा)

- शिशु शिक्षा के कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से कियान्वित करने हेतु 6 दिवसीय ई.सी.ई. का उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 31 सहभागी सम्मिलित हुए ।
- जिला स्तर पर डाइट में गठित ई.सी.ई. टीमों के उन्मुखीकरण हेतु डाइट पचमढ़ी में 3–3 दिवस के 2 उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किये गए जिसमें 58 सहभागी सम्मिलित हुए ।

- आई.सी.डी.एस. परियोजना में कार्यरत पर्यवेक्षकों का 3–3 दिवस का ई.सी.ई. उन्मुखीकरण कार्यक्रम जुलाई से दिसम्बर 1999 की अवधि में जिला मुख्यालयों पर आयोजित किया गया इसमें 41 जिलों में 1607 सहभागी सम्मिलित हुए ।
- समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित 6 विकास खण्डों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने हेतु ब्लॉक स्तर के 26 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित किए गए ।
- प्रदेश में संचालित 38 आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों की निर्देशिकाओं के लिए 3 दिवसीय ई.सी.ई. उन्मुखीकरण कार्यक्रम जुलाई 99 में पचमढ़ी में आयोजित किया गया जिसमें 41 सहभागी सम्मिलित हुए ।
- समुदाय आधारित योजनान्तर्गत चयनित 6 विकास खण्ड़ों के 1025 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6–6 दिवसीय उन्मुखीकरण शिशु शिक्षा अवधारणा पद्धति पर किया गया ।
- उज्जैन, रायपुर, खण्डवा, भोपाल व दतिया की एक–एक आई.सी.डी.एस.परियोजना में 10–10 आंगनबाड़ियों को शाला पूर्व शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में विकसित किया जा रहा है ।
- शिशु शिक्षा संदर्शिका का वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप पुनरीक्षण, संशोधन व सम्पादन का कार्य पूर्ण कर मुद्रण हेतु दिया गया ।
- 3 से 6 आयु समूह के बच्चों के विकास हेतु शैक्षिक नमूना सामग्री प्रोटोटाइप किट के रूप में तैयार की गई ।
- शिशु शिक्षा कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु डाइट प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई ।
- राज्य स्तर पर सलाहकार समिति द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई ।
- माह अगस्त 1999 में एस.सी.ई.आर.टी. के 8 सदस्य शिष्ट मंण्डल द्वारा संचालक परिषद की अध्यक्षता में गुजरात राज्य के ई.सी.ई. कार्यक्रमों का अवलोकन व अध्ययन किया गया।
- शिशु शिक्षा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आंगनबाड़ियों व शिशु शिक्षा केन्द्र का प्रतिमाह 2–3 दिवस अवलोकन व मार्गदर्शन सेम्पल आधार पर किया गया ।
- राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन द्वारा देश के 19 जिलों में संचालित लगभग 4 हजार एस.एस.के. शिक्षिकाओं का उन्मुखीकरण किया गया ।

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा

- परिषद द्वारा प्रशिक्षण और मार्गदर्शन हेतु 3 पुस्तकें समावेशित शिक्षा (पृष्ठ 256) विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा (पृष्ठ 129) और समेकन पूर्व कौशल (पृष्ठ 29) पर तेयार की गई ।

- दिनांक 5 से 7 मई 1999 तक मध्यप्रदेश, बिहार तथा उत्तर प्रदेश की रिसोर्स पर्सन्स का प्रशिक्षण आस्ट्रेलिया के विशेषज्ञों की सहायता से आयोजित किया गया ।
- औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों की अनुदेशकों/पर्यवेक्षकों तथा सामान्य शिक्षकों को विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा का प्रशिक्षण देने हेतु दिनांक 3 से 7 जनवरी 2000 तक 43 डाइट व्याख्याताओं को प्रशिक्षित किया गया ।
- प्रदेश के 17 ब्लॉक के शिक्षकों को दृष्टिहीनता एवं दृष्टि बाधित बच्चों की शिक्षा का एक माह का विशेष प्रशिक्षण दिया गया ।

आदिवासी/अल्पसंख्यक शिक्षा

- मदरसा आधूनिकीकरण योजना के अंतर्गत आने वाले 102 मदरसों के 102 शिक्षकों के प्रशिक्षण की योजना तैयार कर शासन को भेजी गई ।
- मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लिया गया ।
- राज्य सेवाओं में अनुसूचित जाति /जनजाति संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व संबंधी जानकारी शासन को भेजी गई ।

बहुकक्षा शिक्षण

- दिनांक 1 से 3 सितम्बर 1999 तथा 9 से 12 सितम्बर 1999 को आयोजित 2 कार्यशालाओं के माध्यम से बहुकक्षा शिक्षण प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्माण किया गया ।
- दिनांक 4 से 8 अक्टूबर 1999 तथा 4 से 5 नवम्बर 1999 को आयोजित 2 कार्यशालाओं के माध्यम से स्व अधिगम सामग्री का निर्माण किया गया ।
- माह दिसम्बर 1999 में बहुकक्षा शिक्षण प्रशिक्षण फोल्डर का निर्माण किया गया ।
- माह दिसम्बर 1999 में बी.आर.सी.सी.आर.सी. प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्माण किया गया ।
- दिनांक 3 से 9 जनवरी 2000 तक बहुकक्षा शिक्षण प्रशिक्षण पर 7 दिवसीय कार्यशाला को भोपाल में आयोजित कर लगभग 50 बी.आर.सी.सी.आर.सी. व डाइट व्याख्याताओं को प्रशिक्षित किया गया ।
- बहुकक्षा शिक्षण मॉड्यूल के क्षेत्र परिक्षण हेतु 6 विकास खण्डों की 20–20 शालाओं का चयन किया गया ।

यूनेस्को दूर–शिक्षा पायलट प्रायोजना

प्रदेश के लिए यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय संचार संघ तथा भारत सरकार द्वारा दूर शिक्षा के क्षेत्र में एक पायलट प्रायोजना स्वीकृत की गई है । इस योजना के अंतर्गत वी–सेट तकनीक द्वारा प्राथमिक शिक्षकों तथा शिक्षक प्रशिक्षकों को वीडियो कॉनफ्रेंसिंग पद्यति से प्रशिक्षित किया जायेगा । इस योजना में प्रदेश के 10 जिलों तथा 2 विकास खण्डों को चुना गया है । विश्व के 2 देशों में संचालित इस प्रायोजना के समाप्ति पर शेष भारत में तथा अन्य विकासशील देशों (ई–9) में इसे लागू किया जायेगा । इस योजना अंतर्गत परिषद द्वारा स्व अधिगम पद्यति पर आधारित मुद्रित सामग्री का विकास किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त दृश्य तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर विकास का कार्य प्रगति पर है ।

व्यावसायिक शिक्षा

- कक्षा 12 के तकनीकी संकाय की 6 पुस्तकों की समीक्षा व निर्माण किया गया ।
- कक्षा 12 के वाणिज्य संकाय की 9 पुस्तकों की समीक्षा व निर्माण किया गया ।
- कक्षा 12 के गृह विज्ञान संकाय की 9 पुस्तकों की समीक्षा व निर्माण किया गया ।
- तकनीकी संकाय के 24 प्रेक्टिकल मेन्युअल का निर्माण किया गया ।

विज्ञान शिक्षा

- सितम्बर 1999 में विज्ञान शिक्षकों का सेमीनार जबलपुर में आयोजित किया गया ।
- विज्ञान से जुड़ी अभिनव परियोजनाओं पर आधारित नवाचार प्रयोगों के लिए प्रदेश से इस वर्ष 2 शिक्षकों को चयनित कर सम्मानित किया गया ।
- 14 से 19 नवम्बर तक दतिया जिले में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 300 प्रतिभागी बच्चों, शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों ने सहभागिता की ।
- विज्ञान एवं गणित शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम लगभग 880 उ0मा0वि0 स्तर शिक्षक, 800 हाई स्कूल स्तर शिक्षक एवं 2000 माध्यमिक स्तर शिक्षकों हेतु आयोजित किये जा रहे हैं ।
- 11 से 14 जनवरी 2000 तक भोपाल में राज्य स्तरीय पर्यावरण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 450 प्रतिभागी बच्चों, शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों ने सहभागिता की ।

- दिसम्बर 1999 में मैथ्स ओलंपियाड एवं साइंस क्विज के प्रथम चरण का आयोजन किया गया।

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No.
Date :
Docume

- एकलव्य संस्था के सहयोग से माध्यमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- साइंस सेन्टर संस्था, ग्वालियर के सहयोग से शिक्षक विज्ञान कांग्रेस एवं बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया ।
- मैप कॉस्ट के सहयोग से सौर ग्रहण के अवलोकन संबंधी प्रशिक्षण आयोजित किया गया ।

जनसंख्या शिक्षा

- जनसंख्या एवं विकास शिक्षा में स्त्रोत पुरूषों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने हेतु कार्य शालाऐं आयोजित की गई ।
- किशोर शिक्षा की आधारभूत सामग्री विकसित करने हेतु कार्यशाला आयोजित की गई ।
- किशोर शिक्षा हेतु चयनित जिलों के डाइट तथा शासकीय शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्यो एवं उप प्राचार्यों के लिए एडवोकेसी कार्यक्रम आयोजित किया गया ।
- किशोर शिक्षा तथा जनसंख्या शिक्षा में चयनित जिलों के स्त्रोत पुरूषों को प्रशिक्षित किया गया ।
- विश्व जनसंख्या दिवस पर 5 जिलों में रोड रेस का आयोजन किया गया ।
- 10 जिलों में जनसंख्या शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया ।
- नीड ऐसेसमेंट स्टडी हेतु 30 शहरी, 30 ग्रामीण एवं 30 आदिवासी स्कूलों का चयन कर एवं प्रशनावली (कवेश्चनायर) भरवाकर एन.सी.ई.आर.टी. भेजे गए ।
- 5 जिलों में राष्ट्रिय वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ।
- प्राप्त पियर बेस्ट एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोजेक्ट के संबंध में उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।
- इंटीग्रेटेड पॉपुलेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के संबंध में बैठक में सहभागिता की गई ।
- ट्रेनिंग मॉड्यूल एवं किशोर शिक्षा पेकेज तैयार कर मुद्रण हेतु दिया गया ।

शोध एवं नवाचार

- बी.एड. एवं एम.एड. का नवीन, संशोधित एवं एकीकृत पाठ्यक्रम तेयार किया गया तथा इसकी प्रतियां विभिन्न विश्व विद्यालयों के कुल पतियों व विभागाध्यक्षों, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्यो एवं एन.सी.टी.ई. भोपाल व नई दिल्ली भेजी गई । वर्तमान में ये नवीन पाठ्यक्रम शिक्षा महाविद्यालयों में लागू किया जाने की प्रकिया में है ।

- डी.एड. का नवीन संशोधित पाठ्यक्रम तैयार किया गया एवं इसकी प्रति सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल को प्रेषित की गई ।
- एम.एड. लघु शोध प्रबंधों के लिए परिषद के विभिन्न प्रकोष्ठों के माध्यम से अनुसंधान कार्य हेतु कुछ क्षेत्र प्रस्तावित किये गये ।

छात्र वृत्ति परीक्षा

- राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (एन.टी.एस.) प्रथम चरण वर्ष 1998–99 के चयनित विद्यार्थियों को परिणाम से अवगत कराया गया ।
- एन.टी.एस. परीक्षा प्रथम चरण उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए एन.टी.एस. द्वितीय चरण परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रदेश के 4 शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में मार्गदर्शन शिविर आयोजित किये गए ।
- एन.टी.एस. परीक्षा द्वितीय चरण के संचालन एवं उत्तीर्ण छात्रों हेतु आयोजित साक्षात्कार में सहयोग किया गया ।
- एन.टी.एस.परीक्षा द्वितीय चरण उत्तीर्ण किंतु साक्षात्कार में असफल छात्रों की सूची तैयार कर राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति हेतु लोक शिक्षण संचालनालय, म0प्र0 भोपाल को प्रेषित की गई।
- राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा प्रथम चरण वर्ष 1999–2000 का आयोजन दिनांक 31 अक्टूबर 1999 की प्रदेश के 73 परीक्षा केन्द्रों में किया गया ।
- एन.टी.एस.परीक्षा प्रथम चरण वर्ष 1999–2000 का कम्प्यूटर डाटा प्रोसेसिंग के माध्यम से परीक्षा फल तैयार करने का कार्य अंतिम चरण में है ।
- राष्ट्रीय इण्डियन मिलिट्री कॉलेज, देहरादून प्रवेश परीक्षा के माह अगस्त 1999 का आयोजन किया गया ।
- राष्ट्रीय इण्डियन मिलिट्री कालेज, देहरादून प्रवेश परीक्षा माह फरवरी 2000 हेतु परीक्षा पूर्व तैयारी सम्पन्न की गई ।

औपचारिकेत्तर शिक्षा

- प्रदेश के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान तथा उप संचालक शिक्षा को सहायक सामग्री "संदर्शिका" का वितरण किया गया ।
- 5 से 7 अगस्त 1999 तक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, छतरपुर में एवं 10 से 12 अगस्त 1999 तक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, बिलासपुर में परियोजना अधिकारियों/सहायक संचालक एवं संभागीय समन्वयकों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण और पूर्व तैयारी कार्यक्रम का आयोजन ।

- 18 से 23 अगस्त 1999 तक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन एवं ग्वालियर में डाइट/बी.टी.आई. एवं शासकीय शिक्षा महाविद्यालय के व्याख्याता/सहायक प्राध्यापक हेतु उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन।
- 15 से 20 सितम्बर 1999 तक डाइट पिपलौदा व शिवपुरी में तथा 24 से 29 सितम्बर 1999 तक डाइट धार में परियोजना अधिकारी/सहायक संचालक और संभागीय समन्वयक औपचारिकेत्तर शिक्षा हेतु उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन ।
- 30 अगस्त से 4 सितम्बर 1999 तक व्याख्याता डाइट/बी.टी.आई एवं शासकीय शिक्षा महाविद्यालय हेतु प्रथम/द्वितीय एवं तृतीय चरण प्रशिक्षण उन्मुखीकरण कार्यक्रम का शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, जबलपुर व डाइट रायपुर में आयोजन ।
- 11 से 16 अक्टूबर 1999 तक परियोजना अधिकारियों/सहायक संचालक एवं संभागीय समन्वयकों को 6 दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का डाइट पन्ना व सतना में आयोजन ।
- 22 से 27 अक्टूबर 99 तक औपचारिकेत्तर शिक्षा में 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का डाइट पेन्ड्रा, बस्तर एवं पचमढ़ी में आयोजन ।
- 12 से 17 नवम्बर 1999 तक परियोजना अधिकारियों/सहायक संचालक एवं संभागीय समन्वयकों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का डाइट रायपुर में आयोजन ।

डी.पी.ई.पी.

- सभी जिलों में एम.टी.प्रशिक्षण आयोजित किया गया ।
- 8 एवं 9 जून 1999 को 2 दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त किया गया एवं पाठ्यवार समीक्षा का विशलेषण किया गया ।
- 34 जिलों में मॉनिटरिंग के लिए प्रारूप तैयार किया गया ।
- क्षेत्र सर्वेक्षण के 10 जिलों से प्राप्त डाटा के लिए एनालिसिस प्रोग्राम तैयार करा कर रिपोर्ट तैयार की गई ।
- अप्रेजल मिशन के लिए प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया गया ।
- डी.पी.ई.पी. प्रभाग के अधिकारियों द्वारा जिलों में मॉनिटरिंग का कार्य किया गया ।
- विजन 2000 के लिए केन्द्रीय दल की बैठक में विस्तृत योजना तैयार की गई ।
- एक्शन रिसर्च के बारे में योजना तैयार की गई ।

प्रौढ़ शिक्षा

निरक्षरता राष्ट्र के विकास में बड़ा अवरोध है । प्रजातंत्र की सफलता का मूलमंत्र यह है कि देश का प्रत्येक नागरिक पढ़ा लिखा तथा जागरूक हो। राष्ट्र की विकास धारा से इस बड़े अवरोध को हटाने हेतु संपूर्ण देश में निरक्षरता के खिलाफ एक जेहाद छेड़ा गया है।

मध्यंप्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य किन्तु साक्षरता की दृष्टि से नीचे से पॉचवे स्थान पर है। प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत 44.20 है जिसमें महिला साक्षरता दर केवल 28.85 प्रतिशत है। अनुसूचित जन जातियों के मामले में राज्य की औसत साक्षरता दर केवल 21.54 प्रतिशत थी। जबकि इस वर्ग की महिलाओं में साक्षरता दर मात्र 10.73 थी इन्हीं आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान को उच्च प्राथमिकता दी गई।

मध्यप्रदेश में संपूर्ण साक्षरता अभियान का शुभारंभ वर्ष 1991–92 में हुआ है। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की अवधारणा के अनुरूप 15–35 आयु समूह के प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना तथा राष्ट्रीय एकता, विकास कार्यों में भागीदार बनाना, पर्यावरण संरक्षण, महिला एवं पुरूषों में समानता, परिवार कल्याण आदि सामाजिक कार्यक्रमों की भी जानकारी प्रदान करना है।

प्रशासनिक ढॉचा:–

स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा संचालनालय स्तर पर एक संचालक एक संयुक्त संचालक, दो उप संचालक, चार सहायक सचालक, एक कनिष्ठ लेखा अधिकारी, तीन सहायक सांख्यिकी अधिकारी, एक प्रोग्राम सहायक एवं चौबीस लिपिकीय/अलिपिकीय पद स्वीकृत है।

जिला स्तर पर कलेक्टर के नियंत्रण में कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु प्रत्येक जिले में जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी का एक पद स्वीकृत है। इसके अधीन एक सहायक सांख्यिकी अधिकारी, प्रोग्राम सहायक एवं अन्य लिपिकीय/अलिपिकीय पद स्वीकृत है।

(1) संपूर्ण साक्षरता अभियान–

मध्यप्रदेश में संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अभियान के रूप में सर्वप्रथम 1990 में पहल की गई जिसमें राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की अवधारणा के अनुरूप 15–35 आयु समूह

के प्रौढ़ निरक्षर को साक्षर करने का सुनियोजित कार्यक्रम प्रांरभ किया गया । इस अभियान के अन्तर्गत क्षेत्र आधारित, समयबद्व परिणाम मूलक परियोजना का संचालन स्वयं सेवी आधार पर किया जाता है, जिसके लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला साक्षरता समिति कार्य करती है। साक्षरता अभियान के लिए समर्पित अशासकीय सदस्योंको लेकर इस समिति का गठन किया जाता है। इस जिला साक्षरता समिति के माध्यम से संपूर्ण सांक्षरता अभियांन संपूर्ण जिले में अथवा आंशिक क्षेत्र में संचालित की जाती है। साक्षरता अभियान के लिए समर्पित अशासकीय सदस्यों को लेकर इस समिति का गठन किया जाता है। इस जिला साक्षरता समिति के माध्यम से संपूर्ण साक्षरता अभियान परियोजनाएँ संपूर्ण जिले में अथवा इसके आंशिक क्षेत्र में संचालित की जाती है।

संपूर्ण साक्षरता अभियान के माध्यम से प्रदेश के 15–35 आयु समूह के अनुमानित 110 लाख प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षर करने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए साक्षरता अभियान को जन–आन्दोलन का रूप प्रदान किया गया है। कार्यक्रम के अन्तर्गत वातावरण निर्माण, परियोजना प्रस्ताव की तैयारी , निरक्षरों की पहचान, स्वयं सेवकों का चयन, स्वयं सेवकों एवं संदर्भ व्यक्तियों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण, निरक्षरों की कक्षाओं का प्रांरभ, निरीक्षण , पर्यवेक्षक एवं मूल्याकंन आदि प्रमुख कार्यों का संपादन किया जाता है।

(2) **उत्तर साक्षरता अभियान**–

साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रवेशिका–3 पूर्ण करने के उपरान्त नवसाक्षर को उत्तर साक्षरता अभियान में सम्मिलित कर दिया जाता है। उत्तर साक्षरता कार्यक्रम एक वर्ष के लिए आंरभ किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नवसाक्षरों द्वारा सीखे गये ज्ञान को बनाये रखना, उसमें सुधार करना, अध्ययन की प्रवृत्ति को लगातार विकसित करने हेतु जीवनोपयोगी बातों जैसे– स्वास्थ्य विकास, पर्यावरण , उपभोक्ता संरक्षण , आर्थिक विकास विषयों पर ध्यान केंद्रित करना है।

(3) **सतत शिक्षा अभियान**:–

संपूर्ण एवं उत्तर साक्षरता अभियान की समाप्ति के पश्चात सतत शिक्षा कार्यक्रम का प्रावधान है। इस सतत शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से सतत शिक्षा के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट कार्यक्रम प्रस्तावित है :–

(1) जीवन स्तरीय सुधार कार्यक्रम

(2) आय प्राप्ति कार्यक्रम

(3) समकक्षीय कार्यक्रम

(4) व्यक्तिगत रूचि प्रोन्नति कार्यक्रम आदि सम्मिलित है।

कार्यक्रम के अन्तर्गत औसतन प्रत्येक ग्राम पर एक सतत शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जायेगा। सांस्कृतिक पुस्तकालय, वाचनालय, अध्ययन केन्द्र, सूचना केन्द्र, चर्चा मंडल विकास केन्द्र, सांस्कृतिक केन्द्र, क्रीड़ा केन्द्र आदि की सुविधाँए उपलबध कराई जावेगी।

मध्यप्रदेश में अभियान की स्थितिः–

मध्यपद्रेश में समस्त जिलों में 56 परियोजनाएँ संपूर्ण साक्षरता अभियान की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है, जिनमें से 28 परियोजनाएँ (जिला नरसिंहपुर, रायपुर– प्रथम व द्वितीय चरण, रायगढ़– प्रथम चरण, बैतूल– प्रथम चरण, रतलाम , रायसेन, राज़नांदगॉव , शिवपुरी, बिलासपुर, प्रथम, द्वितीय, छतरपुर, टीकमगढ़, दुर्ग,इन्दौर, झाबुआ, उज्जैन, छिन्दवाड़ा, राजगढ, ग्वालियर, सीधी, शहडोल,मंडला, भोपाल, रीवा, दतिया, पन्ना, एवं सागर) पूर्ण होकर उत्तर साक्षरता के चरण में प्रवेश कर चुकी है और इन 28 उत्तर साक्षरता परियोजनाओं में से दो (दुर्ग एवं इंदौर) पूर्ण होकर सतत शिक्षा के चरण में प्रवेश कर चुकी है। शेष 28 परियोज़नाएँ अभी संपूर्ण साक्षरता अभियान कियान्वयन के चरण में है। साक्षरता अभियान एवं उत्तर साक्षरता अभियान हेतु भारत सरकार, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत परियोनाओं के लिए दो तिहाई राशि वित्तीय सहयोग के रूप में प्रदान करती है। जबकि राज्य शासन द्वारा एक तिहाई सहयोग दिया जाता है।

वर्ष 1994–95 से अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के जिलों की परियोजनाओं के लिए भारत सरकार का अनुपात 2:1 से बढ़ाकर 4:1 कर दिया गया है। सतत शिक्षा अभियान की परियोजनाओं के संचालन हेतु प्रांरभिक 3 वर्षो के लिए भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत शेष 2 वर्षो के लिए 50 प्रतिशत राशि वहन की जाती हैं तथा शेष 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन को वहन करना होगा।

संपूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत वर्ष 1999–2000 (दिसम्बर 99 तक) 1.47 लाख व्यक्तियों को साक्षर किया गया एवं 18.27 लाख पठन– पाठनरत थे। उत्तर सक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.01 लाख नवसाक्षरों द्वारा उत्तर साक्षरता प्रवेशिका पूर्ण कर ली है एवं 6.12 लाख नवसाक्षर अध्ययनरत थे।

संपूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अपने अंशभाग रूपये 6518.43 लाख के विरूद्व रूपये 5149.84 लाख उपलब्ध कराये है जबकि राज्य शासन द्वारा अपने अंशभाग रूपये 2838.76 लाख के विरूद्व रूपये 2465.53 लाख विमुक्त किये है। इस प्रकार कुल विमुक्त राशि रूपये 7615.37 लाख में से रूपये 6836.69 लाख संबंधित जिला साक्षरता समितियों द्वारा माह दिसम्बर 99 तक व्यय की गई है।

राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठनः–

प्रदेश में समस्त जिलों में संचालित अभियान को आवश्यक सहयोग संसाधन प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 95 में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का गठन किया गया है इस प्राधिकरण के संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा सीडमनी के रूप में रूपये 25.00 लाख स्वीकृत किये गये है।

राज्य संसाधन केन्द्र :–

इन्दौर एवं भोपल के राज्य संसाधन केन्द्र (प्रौढ़ शिक्षा) मध्यप्रदेश द्वारा साक्षरता से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण देने एवं प्रौढ़ों के लिए पठन–पाठन सामग्री का सृजन करने में सहयोग दिया जा रहा है ।

पढ़ना बढ़ना आन्दोलन :–

हाल ही में राष्ट्रीय सेम्पल सर्वे ऑर्ग्रेनाइजेशन (एन0एस0एस0ओ0) ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि वर्ष 91 से 97 तक प्रदेश की साक्षरता दर में लगभग 11.8 प्रतिशत की वृद्वि हुई है। इससे स्पष्ट है कि साक्षरता अभियान से कुछ हद तक साक्षरता प्रतिशत में वृद्वि परिलक्षित हुई है और समुदाय में साक्षर करने की प्रबल इच्छा है फिर भी लक्ष्य के काफी बड़े हिस्से को प्रभावी तरीके से करने के लिए यह जरूरी हो गया है कि साक्षरता रणनीति पुनरीक्षित और सुदृढ़ किया जाये। इस उद्देश्य से राज्य शासन ने नई रणनीति "पढ़ना बढ़ना आन्दोलन" के रूप में कियान्वित की है। इस आन्दोलन का स्वरूप सक्रिय सामुदायिक सहभागिता है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि सामाजिक हित के समान उद्देश्यों की पहचान और उनकी पूर्ति के लिए संगठनात्मक तरीके से काम करने की प्रक्रिया सामुदायिक भावना को सार्थक रूप से अभिव्यक्त और सुदृढ़ करती है। यह आन्दोलन पढ़ने लिखने के इच्छुक निरक्षरों को एक निष्क्रिय संख्यात्मक लक्ष्य की तरह न देखकर उनके स्वयं के विकास की इच्छा को काम के रूप में देखती है। इस रणनीति में पढ़ने लिखने के इच्छुक निरक्षर व्यक्ति अपनी साक्षरता के लिए सक्रिय अभिकर्ता माने गये है। इस आन्दोलन में इनकी सक्रियता को उभारने और व्यक्त करने के लिए इच्छुक लोगों को संगठित होने का अवसर देने पर बल दिया गया है। इस आन्दोलन में पढ़ने लिखने के इच्छुक व्यक्ति मिलकर एक "पढ़ना बढ़ना समिति" गठित करेंगे। ये समिति स्थानीय व्यक्ति को पढ़ाने के काम की जिम्मेदारी देगी, जिन्हें गुरूजी कहा जायेगा। गुरूजी पढ़ना बढ़ना समितियों के सदस्यों को एक वर्ष की अवधि में साक्षर करेंगे। मूल्यांकन के आधार पर जो व्यक्ति साक्षर होंगे उनके आधार पर गुरूजी को प्रति साक्षर 100 रूपये के मान से गुरूदक्षिणा की राशि राज्य शासन द्वारा प्रदान की जायेगी। उल्लेखनीय है कि विगत विधान सभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी

निरक्षरों को साक्षर करने वाले गुरूजी को प्रति साक्षर 100 रूपये मानदेय देने की घोषणा की थी।

दिसम्बर 99 अन्त तक कुल 2.42 लाख पढ़ना बढ़ना समितियॉ गठित हो चुकी है तथा इन समितियों के माध्यम से 64.81 लाख निरक्षरों ने साक्षर होने की मांग प्रस्तुत की है । 15 दिसम्बर 99 से सभी समितियों में पठन–पाठन कार्य प्रांरभ हो गया है।

प्रदेश में साक्षरता अभियान को प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से जोड़ा गया है, ताकि शिक्षा से जुड़ी इन दोनों गतिविधियों का लाभ दोनों कार्यक्रम को मिल सकें । राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत इन समन्वित कियान्वयन के लिए कई स्तरों पर पहल की गई है।

अभियान कई विकासीय गतिविधियों जैसे स्वास्थ्य, कृषि महिला एवं बाल विकास की गतिविधियों से जोड़ा गया है। स्वास्थ्य में विशेषकर टीकाकरण, कुष्ठ उन्मूलन, आयोडीन अल्पता निवारण प्रमुख है। मध्यप्रदेश में उत्तर साक्षरता अभियान परियोजना को स्थाई स्तर पर विकासीय गतिविधियों से जोड़ा गया है। जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य एंव स्वच्छता, ग्रामीण जल ग्रहण, क्षेत्रीय, कृषि, बाल विकास , ग्रामीण विकास, महिला विकास आदि प्रमुख है।

विभागीय बजटः–

प्रौढ़ शिक्षा संचालनालय मध्यप्रदेश

(राशि लाख रूपये में)

मुख्य शीर्ष	स्वीकृत प्रावधान 1999-2000	वास्तविक व्यय
मांग संख्या–27–शीर्ष–2202–आयोजनेत्तर	**90.40**	**66.02**
मांग संख्या–27–शीर्ष–2202–आयोजना	**380.00**	**9.54**
मांग संख्या–41–शीर्ष–2202–आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	**185.44**	**10.71**
मांग संख्या–64–शीर्ष–2202–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	**150.20**	**7.56**
कुल योग	**806.04**	**93.83**

राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन

1. मिशन की आरंभिक चुनौतियां

राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन एक पंजीकृत स्वायत्तशासी संस्था के रूप में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता स्थापित हुई । राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिये किये जा रहे प्रयासों को अतिरिक्त वित्तीय और शैक्षिक साधनों के समर्थन के उद्देश्य से इस मिशन की स्थापना की गई । अपर्याप्त शैक्षिक संसाधन और इन सब अलग विशाल लक्ष्य समूह की अपेक्षाओं के प्रतिकूल प्रशासनिक व्यवस्था तंत्र आरंभिक दौर में मिशन के समक्ष प्रमु चुनौतियां थीं । इन चुनौतियों ने मिशन के लिये उद्देश्यों,प्रक्रियाओं और लक्ष्यों को परिभाषित करने का मार्ग प्रशस्त किया शिक्षा के लिये अनुकूल वातावरण निर्माण,प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण, दर्ज संख्या में वृद्वि और दर्ज संख्य निरंतरता और दक्षता स्तरों को बढाये रखने के लिये पठन–पाठन शैली की गुणवत्ता में विकास मिशन के मुख्य उद्देश्य थे

इन उद्देश्यों की दिशा में मिशन को शिक्षा की मांग का वातावरण तैयार करना और उसकी पूर्ति के लिये पर्या शैक्षिक अधोसंरचना और गुणात्मक आदान उपलब्ध करने की दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ी । इसके लिये मिशन सहभागिता आधारित प्रणालियों की खोज करनी पडी जो प्राथमिक शिक्षा की मांग और पूर्ति के लिये द्वंद्व की गुत्थी सुलझा सके तथा समाज में इसके प्रति स्वामित्व का जनमानस तैयार हो सके । इस क्षेत्र में विधमान विशाल और जटि समस्याओं और इनके शीघ्र तथा समूचे निराकरण की जरूरत को देखते हुए कुछ लागत अनुकूल प्रतिमानों की आवश्यक महसूस की गई । अंततः विकेन्द्रीकृत प्रबंधकीय व्यवस्था की भी जरूरत थी क्योंकि ऐसी ही व्यवस्था से न केवल ला अनुकूल बल्कि गुणात्मक कार्य को सुनिश्चित करना और समुदाय को स्कूल का स्वामित्व सौंपना संभव हो सकेगा इसलि मिशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिये एक बिल्कुल नया उदाहरण या प्रतिमान प्रस्तुत करने चुनौती थी ।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये मिशन द्वारा सामुदायिक सहभागिता का प्रोत्साहन, नई शालाओं की व्यवस्था, शैक्षि अधोसंरचना जैसे शाला भवन,अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, शाला सुविधाओं का उन्नयन,नई पठन–पाठन सामग्री विकास,शिक्षक प्रशिक्षण,शैक्षिक संरचनात्मक समर्थन प्रणालियों तथा प्राथमिक शिक्षा की बुनियाद को मजबूती प्रदान क के विशेष प्रयास किये गये हैं । जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को इन विशेष प्रयासों के क्रियान्वयन का माध्यम बनाया है । इससे मिशन के लिये 250 मिलियन अमेरिकी डालर की बाह्य सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त कर शिक्षा की दृष्टि पिछड़े 34 डी.पी.ई.पी. जिलों को उपलब्ध करांना संभव हो सका ।

डी.पी.ई.पी जिले

प्रथम (1994–2001)	द्वितीय चरण (1997–2002)
बैतूल,रायसेन,राजगढ़,सीहोर,बिलासपुर,रायगढ़,सरगूजा, गुना,धार,राजनांदगांव,रीवा,सतना,शहडोल,सीधी,छतरपुर, पन्ना,टीकमगढ़,मंदसौर,रतलाम	बस्तर,भिंड,देवास,दमोह,दतिया,झाबुआ,खंडवा,खरगोन, मण्डला, मुरैना, रायपुर, सिवनी, शाजापुर, शिवपुरी, विदि

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से संसाधन समर्थन राज्य शासन के अपने संसाधनों के अलावा अतिरिक्त सहायता है। मिशन के लिये अपनी अलग नवाचार रणनीति निर्धारित करना भी जरूरी था जिससे राज्य में उपलब्ध संसाधनों की सभावनाओं का दोहन किया जा सके और प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के महत्वपूर्ण कार्य को वांछित गति के साथ सफल कराया जा सके। इस दिशा में मिशन का एक उल्लेखनीय नवाचार प्रतिमान शिक्षा गारंटी योजना है।

मिशन द्वारा अभी तक किये गये कार्य जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम समर्थित गतिविधियों और शिक्षा गारंटी योजना के परिणामस्वरूप है।

१. मिशन द्वारा किया गया कार्य :

सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन करते हुये मिशन को प्राथमिक शिक्षा की सुविधाओं की शतप्रतिशत सार्वजनिक पहुंच को सुनिश्चित करने में सफलता मिली है। मिशन द्वारा जुलाई–अगस्त 1996 में अयोजित लोक सम्पर्क अभियान के माध्यम से घर घर सम्पर्क कर समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। इस अभियान में सभी 34 डीपीईपी जिलों के 55295 गांवों का सर्वेक्षण कराया गया इस अभियान के तहत 5–15 वर्ष आयु समूह के एक करोड़ एक लाख बच्चों से सीधा सम्पर्क कर डाटा संकलित किया गया।

लोक सम्पर्क अभियान से यह ज्ञात हुआ कि अप्रेवेशी और स्कूल त्यागी बच्चों की जानकारी एकत्रित करने, उन्हें स्कूल भेजने के लिये समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहन करने जैसे वृहद कार्य प्रभावी तरीके से पंचायतों और शिक्षकों की भागीदारी से सफलतापूर्वक सम्पन्न कराये जा सकते है। इस अभियान से समुदाय की अपेक्षाओं और समस्याओं से भी रूबरू होने का अवसर तो मिलता ही है, साथ ही शासन द्वारा सही निर्णय लिये जाने में इन का अधिक प्रभाव रहता है। लोक सम्पर्क अभियान द्वारा इन डीपीईपी जिलों में प्राथमिक शाला और शाला सुविधाये की स्थिति की लोक सूचना की एक विश्वसनीय वैकल्पिक प्रणाली विकसित की गई हैं। लोक सम्पर्क अभियान से यह भी ज्ञात हुआ कि प्राथमिक शिक्षा सुविधाये की पहुंच में बहुत अंतर है।

शिक्षा गारंटी योजना देश में अपने ढंग की एक अग्रणी योजना हैं। बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को प्रतिपादन करता है। शिक्षा गारंटी योजना, इस आश्वासन को तत्काल प्राथमिक शिक्षा सुविधायें उपलब्ध करने की दृष्टि से महत्व देता है न कि किसी न्यायिक फेसले के रूप में क्योंकि शासन और समुदाय की संयुक्त भागीदारी के साथ शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के उत्तरदायित्व निर्वहन इस गारंटी की निहित भावना है। शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत जब भी जहा किसी अनुसूचित जाति क्षेत्र से 25 स्कूल जाने योग्य बच्चों के लिये प्राथमिक शिक्षा की सुविधा की मांग की जाती है और एक किलोमीटर की दूरी में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध नहीं है वहा शासन इस बात की गारंटी देता है कि 90 दिन के अंदर एक प्रशिक्षित शिक्षक की सेवायें जिन्हें गुरूजी का नाम दिया गया है उपलब्ध कर दी जावेगी। पठन पाठन के लिये स्थान की व्यवस्था समुदाय द्वारा की जायेगी। समुदाय द्वारा ही गुरूजी के नाम का प्रस्ताव भी दिया जायेगा जो उसी गांव का निवासी हो। प्रदेश में इस योजना के एक जनवरी 1997 को आंरभ होने की एक वर्ष की अवधि में ही 15568 शिक्षा गारंटी योजना

केन्द्र खोले गये है। इस तरह प्रदेश में एक वर्ष में प्रतिदिन औसतन योजना के अन्तर्गत 40 प्राथमिक शाला केन्द्र खुलते गये। दिसम्बर' 99 तक 26315 शिक्षा गांरटी स्कूल स्थापित हो चुके है। शिक्षा गांरटी योजना अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में आबादी और रहन सहन के लिये उपयोगी और संदवेदनशील साबित हुयी है जहॉ पर लोग छोटी इकाईयों जैसे मजारें, टोले और गलियों में दूर–दूर बसते है।

शिक्षा गांरटी योजना के कारण मध्यप्रदेश में एककम लागत अनुकूल और समयबद्ध तरीके से शिक्षा सुविधायें की पहुंच का लोक व्यापीकरण संभव हुआ है। इससें शिक्षा की गुणवत्ता में भी कोई समझौता नहीं करना पड़ा। यह योजना समुदाय केन्द्रित और लागत अनुकूल शिक्षा सुविधा प्रतिमान के रूप में उभरी है जो शिक्षा गांरटी योजना के पक्ष में प्रबल सार्थक है।

20 अगस्त 1998 को मध्य प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं की पहुंच का लोकव्यापीकरण का कार्य पूरा हुआ। दिसम्बर 99 तक प्रदेश में 26315 ई. जी. एस. शालाएं संचालित है। इनमें पूर्व में संचालित वैकल्पिक शालाएं भी सम्मिलित है। इन शालाओं में से 12879 शालाएं आदिवासी बसाहटों में खोली गई है। ई. जी. एस. शालाओं में लगभग 10.7 लाख बच्चे दर्ज है , जिनमें से 5.9 लाख आदिवासी बच्चे है। दर्ज बच्चों की संख्या में 4.8 लाख (45:) बालिकाएं है। मिशन द्वारा 5709 नई प्राथमिक शालाएं संचालित की गई। इसके विपरीत मुख्य धारा की औपचारिक शिक्षा संरचना के माध्यम से 50 वर्षो में केवल 80 हजार शालाओं की सुविधा उपलब्ध करायी गयी। जबकि केवल पॉच वर्षो में राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन द्वारा 32024 बसाहटों में शिक्षा सुविधाये उपलब्ध करायी गयी जिससे यह सिद्ध होता है कि मिशन पद्धति द्वारा शिक्षा सुविधाओं के विकास और उसकी पहुँच सुनिश्चित करने में अप्रत्याशित गति लाना संभव है। चूँकि 32024 बसाहटें ज़्यादातर दूरस्थ अंचलों और वंचित समुदाय की है, इसलिये यह अत्याधिक जरूरतमंद समूहों तक शिक्षा सुविधायें पहुंचाने के लक्ष्य के महत्व को भी दर्शाता है।

समाज के सीमांत समूहों के बच्चों को शाला में प्रोत्साहित करने के लिये वैकल्पिक शाला कार्यक्रम के माध्यम से पठन पाठन का वैकल्पिक पाठयक्रम तैयार किया गया। इस पाठयक्रम को प्रासगिक और श्रेणीबद्ध बनाया गया ताकि बच्चें विशेषकर समाज के सीमांत समूहों के बच्चें शाला में उपस्थित होने लगे है। स्थानीय शिक्षकों, स्थान और समय में लचीलेपन के प्रावधानों के साथ वैकल्पिक शाला सामुदायिक सहभागिता की भावना को जागृत करने में सफल हुयी सहभागिता की इस भावना के कारण समुदाय द्वारा वैकल्पिक शालाओं के लिये मजबूत ढांचे और भवन निर्माण के लिये वित्तीय और श्रम संसाधन जुटाने में आगे आ रहे है। डीपीईपी के 34 जिलों में अभी तक 5382 वैकल्पिक शालायें खोली जा चुकी है। अब ये शलाएं शिक्षा गारंटी शलाओं के रूप में पहचानी जाती है।

प्रदेश की हर बसाहट में प्राथमिक सुविधा उपलब्ध कराते हुए मिशन ने पठन पाठन की गुणवत्ता के महत्व को सर्वोपरि रखा है। प्रदेश में पहली बार प्राथमिक कक्षाओं के लिये शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी और फील्ड ट्रायल पर आधारित सीखना सीखाना सामग्री को दक्षता आधारित पठन पाठन के अनुकूल बनाया गया है। प्रशिक्षण में भी अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुयी है मिशन के पूर्व औसतन प्रतिवर्ष 12500 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। मिशन के रचनात्मक शैक्षिक हस्तक्षेप के कारण प्रतिवर्ष औसतन एक लाख शिक्षकों को 12 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। मिशन के पूर्व

संस्थागत शैक्षिक सुविधा पूर्णरूप से केन्द्रित और अपर्याप्त था और अधिक से अधिक यह सुविधा जिला स्तर तक पहुँच पाती थी। शिक्षा प्रणाली में इस विशाल अन्तर को मिशन द्वारा डीपीईपी जिलों में 369 विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र और 6296 संकुल स्त्रोत केन्द्र की स्थापना कर पूर्ति की गयी। यह इस शैक्षिक विकेन्द्रिकरण द्वारा शालाओं के लिये निरंतर शैक्षिक समर्थन और निगरानी प्रणाली की व्यवस्था की जा सकी जो मिशन के पूर्व नहीं था इन सब बातों के अलावा शिक्षा के विकास के प्रतिकूल प्रशासकीय पदानुक्रम व्यवस्था उलट दी गयी और शाला के शिक्षक को मुख्य भूमिका निभाने का अवसर दिया गया। लगभग 1500 शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर और शैक्षिक समन्वयकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया और उनमें शैक्षिक कार्यो के प्रति अपनत्व की भावना का सृजन किया गया। राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन द्वारा संचालित इन स्कूलों की पठन पाठन व्यवस्था में और अधिक गुणवत्ता स्थापित करने के लिये मिशन ने वर्ष 1999 में विशेष गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम इन स्कूलों में लागू किया है। गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत सभी ई.जी.एस. शालाओं के गुरूजियों को 12 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण माड्युल का निर्माण जिले स्तर पर जिला अकादिमक समूह द्वारा तैयार किया गया है। जिसमें उन बिन्दुओं को ध्यान में रखा गया जो शिक्षक एवं बच्चों के लिये हार्ड स्पॉट थे। हार्ड–स्पॉट को चिन्हित करने के लिए सभी बच्चों का बेसलाईन मूल्यांकन किया गया । तथा विश्लेषण किया गया। साथ ही अकादमिक सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए संकुल अकादमिक समन्वयक को प्रशिक्षित किया गया।

समुदाय की भागीदारी से 4539 शाला भवन निर्मित किये गये है और 1479 शाला भवन निर्माणाधीन है। 198 विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र भवन प्रथम चरण 19 डीपीईपी जिलों में पूरे किये गये है। जबकि द्वितीय चरण में 15 डीपीईपी जिलों में 171 विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र भवन निर्माणाधीन है। जिनमें से अब तक 121 पूर्ण किये जा चुके है तथा 50 निर्माणाधीन है। इन भवनों के पूर्ण होने पर विकासखण्ड स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण आयोजन के लिये स्थायी सुविधा उपलब्ध होने लगेगी। इसके अतिरिक्त जिन प्राथमिक शालाओं ने दर्ज संख्या न्यूनतम संख्या से अधिक है उनमें 4239 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया गया। शिक्षा गारंटी शालाओं में समुदाय की सहायता एवं सहभागिता से 5413 शैल्टर का निर्माण किया गया है।

पहली बार डीपीईपी के माध्यम से ग्रामीण शालाओं में शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना कर पूर्व प्राथमिक शिक्षा सुविधा 3 से 5 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के लिये आंरभ की गयी ताकि उन बच्चों को शाला पर्यावरण, अनुशासन और पठन पाठन प्रक्रियाओं से खेल–खेल में परिचित कराया जा सके। शिशु शिक्षा केन्द्रों के कारण बच्चें विशेषकर छोटे बच्चों की देखरेख में लगी शाला जाने योग्य बालिकाओं का शाला में प्रवेश पाना संभव हो पाया है क्योंकि शाला की अवधि में छोटे बच्चें शिशु शिक्षा केन्द्र में खेलते रहते है। पूरे राज्य में अभी तक 4030 शिशु शिक्षा केन्द्र खोले जा चूके है।

ये नवाचार बालिकाओं की शिक्षा के लिये अनेक अवसर उपलब्ध करने में सफल हुये है क्योंकि नवाचार शाला प्रबंधन, पठन पाठन में लचीलापन, स्थानीय निकटता के अवसर प्रदान करते है जिससे समुदाय का ध्यान बालिका शिक्षा के प्रति आकर्षित किया जाना सहज होता है। इस उददेश्य से वर्ष 1997 में एक विशेष महिला शिक्षा अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान 7 लाख अतिरिक्त अप्रवेशी बालिकाओं को शालाओं में प्रवेश दिलाया गया। इसी प्रकार 98 एवं 99 में भी महिला शिक्षा अभियान चलाया गया है। मिशन ने आदिवासी बालिकाओं के लिए 98 आश्रम शालाएं भी प्रारंभ की है ।

साथ ही चुने हुए मदरसो में दिनि तालिम कायम रखते हुए शिक्षा की आधुनिकरण की योजना भी मिशन द्वारा क्रियांवित की जा रही है ।

डी.पी.ई.पी के विभिन्न कार्यक्रम एवं शालाओं के बेहतर मॉनिटरिंग के लिये एकीकृत परियोजना अनुविक्षण प्रणाली विकसित की गई है। इसके माध्यम से प्रतिमाह शालाओं की मूल जानकारी जिले स्तर पर कम्प्यूटीकृत कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त होती है। प्राप्त डाटा का विश्लेषण कर उसका उपयोग कार्यक्रम के अनुविक्षण के लिये किया जाता है।

पंचायतों के साथ कार्य करने में गतिशील और लचीली प्रणालीयों का प्रयोग करते हुये मिशन द्वारा महत्त्वपूर्ण शैक्षिक मुददों को समयसीमा में सम्बोधित कर पाना संभव हुआ है। इससे विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबन्धन का एक प्रभावी और अनुकरणीय प्रतिमन को तैयार कर पाना भी संभव हुआ है। मिशन द्वारा अपने बजट की 85 प्रतिशत राशि पंचायतों को हस्तांरित किया जाता है। इसमें से 57 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतों को नियुक्तियों, वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों के साथ हस्तातरित की जाती है। इस तरह मिशन द्वारा समुदाय के निकट प्राथमिक शिक्षा के संस्थागत पुर्नरचना को समुदाय के निकट उपलब्ध कराने के मार्ग प्रशक्त किये गये है। विकेन्द्रीकृत प्रणाली के द्वारा आगे बढ़ते हुये मिशन द्वारा यह प्रदर्शित किया गया कि असाध्य लग रहे प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण जैसे कार्य को भी लागत अनुकूल और समय सीमा में पूरा करना संभव है।

3. मिशन की मुख्य उपलब्धियां

3.1 शासन की विकेन्द्रिकरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।

मध्यप्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता के कार्यक्रमों में शिक्षा एवं समुदाय को केन्द्रीय स्थान देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि शैक्षणिक कार्यक्रमों का कियान्वयन निचले से निचले स्तर पूणतः सहभागी प्रकिया से किया जाये। हर ग्राम में शैक्षणिक व्यवस्था एवं शिक्षा मिशन का स्वरूप ले जिसमें शिक्षक, समुदाय एवं पंचायती संस्थाओं की अग्रणी भूमिका हो। तभी शिक्षा के कार्यक्रमों का लाभ समुदाय को सही तरीके से प्राप्त हो सकेगी।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रमों के संचालन को पंचायती संस्थाओं के माध्यम से विकेन्दीकृत करके समुदाय के प्रति जवाबदेही बनाने की प्रकिया प्रदेश की वर्तमान शिक्षा नीति का आधार है। इसी दिशा में हर स्तर पर शैक्षणिक व्यवस्था में प्रशासकीय दोहरीकरण को समाप्त करते हुए और शैक्षिक कार्यक्रमों से जुड़े सभी संसाधनों एवं इकाईयों के बेहतर आपसकी समन्वय के लिये उनके एकीकरण का निर्णय लिया गया है। हर स्तर पर इस प्रकार के संरचनात्म्क एकीकरण से शिक्षा के संचालन में मितव्ययता तथा त्वरित गति अपेक्षित है।

शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा तथा साक्षरता से सबंधित कार्यक्रमों को कियान्वित करने के लिये एक एकीकृत संस्था का गठन किया जाये तथा उक्त संस्था के माध्यम से जिलों में गतिविधियां संचालित की जाये। इस आदेश के तारतम्य में राजीव गांधी शिक्षा मिशन को एक संस्था के तौर पर पंजीकृत कर लिया गया है।

केन्द्र सरकार स्तर पर शिक्षा के लोकव्यापीकरण के महत्व को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय लिया जा रहा है कि माध्यमिक एवं साक्षरता सबंधी कार्यक्रमों को गति लाने एवं उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखते हुये उक्त कार्यक्रमों से संबंधित बजट राशि को सीधे प्रदेशों में पंजीकृत संस्थाओं को जारी किया जावे।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा माध्यमिक स्तर तक की शिक्ष और प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों और गतिवधियों को गति देने के उद्देश्य से तथा संगठनात्मक एकीकरण के लिये निर्देश दिये जा रहे हैं। इन निर्देशों का मूल आधार निचे दिये अनुसार है :—

- ग्राम स्तर पर शिक्षा को एक मिशन बनाकर जनभागीदारी को बढ़ाना।
- ग्राम,पंचायत, विकासखण्ड एवं जिला स्तर पर अधिकाधि कार्यों के दायित्व और अधिकार सौंपना।
- विभिन्न स्तर पर एक–दूसरे पर निर्भर किन्तु एक–दूसरे से पृथक कार्यालय, अगले और कार्यक्रमों का एकीकरण करना।
- माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा एवं साक्षरता के लिये समन्वित कार्य करना।
- प्रशासनिक उपक्रमों में वित्तीय बचत कर समुदाय को शिक्षा के लिये अधिक संसाधन उपलब्ध कराना।
- गतिविधियों को किसी योजना पर आधारित न करके विषय तथा प्रकरणों पर आधारित करना।

इन निर्देशों से प्रदेश में माध्यमिक स्तर तक की स्कूल शिक्षा और संपूर्ण साक्ष्झरता के कार्यक्रमों और प्रबंधन में मिशन की भावना पैदा की जायेगी। मिशन की भावना में विभिन्न कार्यक्रमों में जनभागीदारी बढ़ाई जायेगी और जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रमों से जोड़ा जायेगा। मिशन की भावना को केवल राज्य स्तर पर ही उत्पन्न नहीं करके विभिन्न स्तरों पर कार्य किया जायेगा। इसक लिये ग्रामीण और वार्ड स्तर पर जनशिक्षा मिशन के रूप में कार्य किया जायगा।

वास्तविक रूप से देखा जाये तो इस संगठनात्मक संरचना के लिये कोई नया संगठन स्थापित नहीं किया जाएगा बल्कि कार्यरत संगठनों को एकीकृत किया जा रहा है, जिससे शासन के उपलब्ध संसाधनों का कम लागत से उपयोग करके लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार राज्य में अब माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा और साक्षरता के कार्यक्रमों को तकनीकी और प्रबंधकीय समर्थन देने के लिये एकीकृत संस्था के रूप में कार्य होगा। हाई स्कूल और हायर सेकेन्डरी स्तर तक की शिक्षा के कार्यक्रम पूर्व की भांति स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यलयों और संस्थाओं के द्वारा किये जाते रहेंगे।

संगठनात्मक संरचना

माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा और संपूर्ण साक्षरता के लिये प्रदेश में नीचे दी गइ संस्थागत संरचना को स्थापित किया गया है :—

• ग्राम/नगर में प्रथम स्तर	ग्राम/वार्ड शिक्षा समिति
ग्राम/नगर पर द्वितीय स्तर	ग्राम पंचायत/नगरीय संस्थाएं

–	संकुल पर तृतीय स्तर	:	जन शिक्षा मिशन जन शिक्षा केन्द्र सहित
–	विकासखण्ड पर चतुर्थ स्तर	:	जनपद शिक्षा मिशन जनपद शिक्षा केन्द्र सहित
–	जिला पर पंचम स्तर	:	जिला शिक्षा मिशन जिला शिक्षा केन्द्र सहित
–	राज्य पर षष्ठम स्तर	:	राज्य शिक्षा मिशन राज्य शिक्षा केन्द्र सहित

3.2 कम लागत में शालाओं को अधिकतम लाभ

स्कूल की सुविधा – सभी बसाहटों में 2 कि.मी. की परिधि में स्कूल सुविधा ई.जी.एस. शालाओं के द्वारा उपलब्ध कराई गई। ई0.जी0एस शालाओं की लागत प्राथमिक शालाओं की लागत का एक तिहाई है। कम लागत में ज्यादा शालायं खोलने से उन बच्चों को फायदा हुआ है जो कि शाला सुविधा दूर होने के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे।

कम लागत में किताबें – इस वर्ष ई.जी.एस. शालाओं में प्रचलित पाठ्यपुस्तको का मुद्रण विकेन्द्रीकृत कर जिले स्तर पर कराया गया। इस प्रकिया के द्वारा जहां मुद्रण की लागत में 25 प्रतिशत की कमी आई हैं वहीं शालाओं के बच्चों तक पुस्तकें जुलाई माह तक पहुंच गई।

विकेन्द्रीकृत मुद्रण लागत में 15 प्रतिशत की कमी तथा वितरण लागत में 10 प्रतिशत की कमी की गई।

कम लागत में भवन :– मिशन द्वारा शाला भवन के निर्माण में परिवर्तित डिजाईन और तकनीकी से इकाई लागत में 50 प्रतिशत की कमी आई है। यह इसलिए संभव हुआ कि ग्राम निर्माण समितियों के माध्यम से भवनो का निर्माण किया जा रहा था एवं इस दिशा में विचार करना आवश्यक हो गया था स्थानीय परिस्थिति एंवं सामग्री को ध्यान में रखकर निर्माण किया जाए। प्रदेश में क्षेत्रिय स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर भवन की डिजाईन, तकनीकी, समुदाय का सहयोग आदि पर चर्चा कर यह संभव हुआ। परिवर्तित तकनीकी और सामग्री से 20 प्रतिशत की कमी तथा परिवर्तित डिजाईन से 30 प्रतिशत की कमी के कारण समान क्षेत्रफल के लिये इकाई लागत 2 लाख रूपये से घटकर 1 लाख रूपये हो गई।

क्षेत्रिय कार्यशाला में यह भी चर्चा हुई कि शालाओ को बच्चों के लिए आर्कषित बनाने के लिए शाला परिसर में क्या सुधार किये जा सकते है। चर्चा के आधार पर शालाओ को गतिविधि केन्द्रों में परिवर्तित करने के लिये उपाय ढूंढे गये। एंवं समुदाय की सहायता से गतिविधि केन्द्र बनाने के लिये अवधारणा विकसीत की गई। इसी अवधारणा के अनुरूप सभी जिलों में समुदाय की सहायता से गतिविधि केन्द्र बनाये जा रहे हैं।

सैटैलाईट के माध्यम से प्रशिक्षण

मिशन द्वारा शिक्षा गारंटी स्कूलों के गुरूजियों को दो दिवसीय राज्य स्तरीय अकादमिक प्रशिक्षण सैटेलाईट के माध्यम से लगभग 7000 गुरूजी एवं जन शिक्षकों को दिया गया। ऐसे प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य शाला, शिक्षा और

समुदाय के बीच सुदृश्य रिश्ता कायम करना है। सैटेलाईट के माध्यम से सुदूर जिलों में बैठे गुरूजी को प्रशिक्षण देने के साथ ही सीधे संवाद कायम करना संभव हुआ है। साथ ही शिक्षा विदों तथा शिक्षा प्रबंधकों से सीधे गुरूजीयों की चर्चा कराकर उनकी अकादमिक एवं प्रशासनिक समस्याओं को दूर करने हेतु अवसर मिलते है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम आगे भी आयोजित किये जाऐगें तथा अकादमिक पहलुओं पर केन्द्रित होंगे।

4. दर्ज संख्या मे वृद्धि

मिशन द्वारा किये गये इन सभी प्रयासो के कारण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के 19 जिलो की प्राथमिक शालाओं में वर्ष 1994 में दर्ज 30 लाख बच्चों की संख्या की तुलना में 34 डी. पी. ई. पी. जिलो में 75 .20 लाख बच्चों को प्राथमिक शालाओं में दर्ज किया जा सका है इनमें से 33 .35 लाख बालिकाएँ है।

5. प्राथमिक शिक्षा में समुदाय की सहभागिता का बढावा

- मिशन अपना कार्य उन विकेन्द्रिकृत अधिसंरचनाओं के माध्यम से करता है जिन्हें कार्यक्रम की योजना बनाने, क्रियान्वित करने और उसकी समीक्षा करने के लिये पूर्ण अधिकार प्रदत्त किये गये है।
- ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि, अभिभावक और शिक्षक सम्मिलित किये गये है। ऐसी 51815 ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया जा चुका है । इन ग्राम शिक्षा समितियों के वित्तिय अधिकार क्षेत्र में प्रति स्कूल प्रतिवर्ष 3000 रूपये की राशि छोटे – मोटे मरम्मत कार्य और आकस्मिक व्यय के लिये दी गई है।
- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शिक्षको की नियुक्ति के लिये जनपद पंचायतों को अधिकार दिये गए है। मिशन के सभी शिक्षको की नियुक्ति इसी विधि से की जाती है।
- वैकल्पिक शालाओं के शिक्षको की नियुक्ति ग्राम पंचायतो द्वारा की जाती है। शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत गुरूजियों की नियुक्ति भी समुदाय की अनुशंसा पर ग्राम पंचायतो द्वारा की जाती है।
- मिशन के सभी भवन निर्माण कार्यों की अधिकृत ऐजेंसी ग्राम पंचायतों को बनाया गया है और विकासखण्ड स्त्रोत केंद्रों का निर्माण जनपद पंचायतो द्वारा किया जाता है।
- जनपद पंचायत समुदायों द्वारा शाला सामग्री का प्रबंध किया जाता है।
- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की योजना का प्रारूप ग्राम पंचायत स्तर पर उनके सुझाव और विचारों के आधार पर बनती है और योजना का जिला पंचायत स्तर पर अंतिम अनुमोदन किया जाता है। इस प्रक्रिया में सहभागिता समुदायों के साथ हुई चर्चा और प्राप्त सुझाव तथा क्षेत्र की आवश्यकताओं के आंकलन को महत्व दिया जाता है।
- 85 प्रतिशत बजट का नियंत्रण जनपद एवं ग्राम पंचायतों के अधीन रहता है जिसमें से 57 प्रतिशत बजट का नियत्रंण ग्राम पंचायत स्वयं करती है।

- लोक सम्पर्क अभियान के माध्यम से प्रत्येक गांव में सामदायिक सहभागिता से गांव–वार सर्वेक्षण कर क्षेत्र की शिक्षा सुविधाओं की जरूरतों का एक विस्तृत आधारभूत डाटा संकलित किया गया। इस अभियान के माध्यम से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रथम चरण के 19 जिलें और द्वितीय चरण के 15 जिले के 55295 गांवों का सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में कुल 1.01 करोड़ 5–14 वर्ष आयु समूह के बच्चों के नाम, उनके शिक्षा स्तर, स्कूल में दाखिलें विवरण संबंधित प्रत्येक गांव की ग्राम शिक्षा पंजीयों में संकलित किया गया। यह जानकारी प्रबंध सूचना प्रणाली में भी अंकित कर ली गई है। इस जानकारी के आधार पर शालाओं में बच्चों की सतत् भागीदारी की समीक्षा करना संभव होगा।
- स्वतंत्रता की 50 वीं वर्षगांठ के अवसर जन सहभागिता से संपूर्ण प्रदेश में महिला शिक्षा अभयान का आयोजन किया गया। 15 अगस्त 1997 से 8 मार्च 1998 तक आयोजित इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में कुल 16,20,254 बच्चों को शालाओं में प्रवेश दिलाया गया। इनमें से 7,58,117 बालिकाएं हैं। इस अभियान के तहत 34 डी.पी.ई.पी. जिलों में 6,15,577 बालिकाओं सहित कुल 13,17,871 अतिरिक्त बच्चों को (6–14 वर्ष आयु समूह) विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया।
- अभी तक मिशन का 530.78 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है जिसमें से 529.53 करोड़ रुपये दिसम्बर 99 तक व्यय किये जा चुके है। इसमें से 36.36 प्रतिशत भवन निर्माण पर, 36.13 प्रतिशत, अकादमिक गतिविधियों पर 25.12 प्रतिशत शिक्षा सुविधाओं और 2.39 प्रतिशत परियोजना प्रबंधन पर व्यय किया गया है।

वित्तीय संसाधनों का विकेन्द्रिकरण

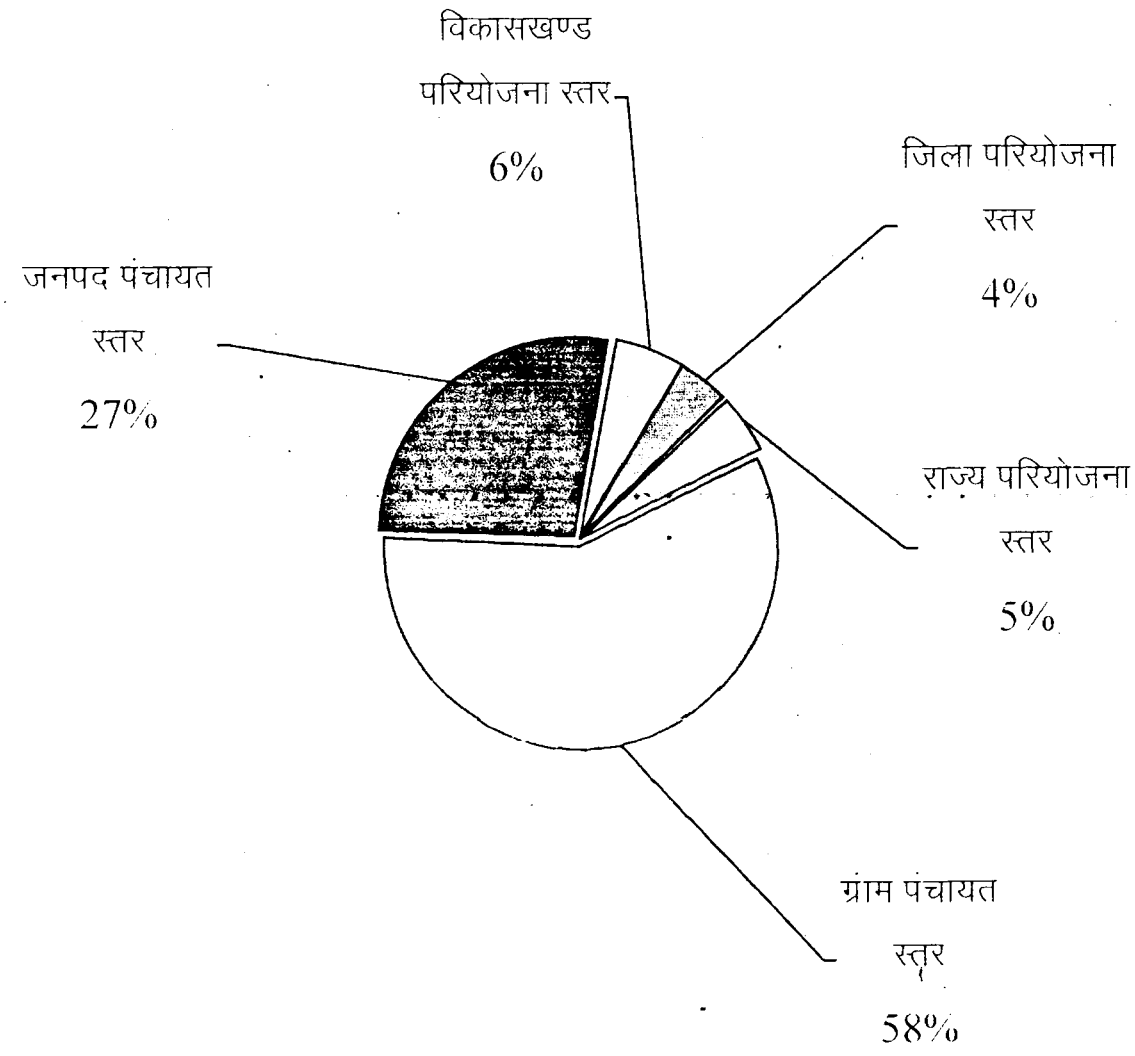

6 सुलभता

मिशन का प्रमुख कार्य सुलभता में वृद्धि और बच्चों को शाला में भर्ती होने के बाद उन्हें पांच वर्ष तक रोक कर रखने एवं बुनियादी शाला सुविधाएं उपलब्ध करना है।

6.1 नवीन प्राथमिक शालाएं

शिक्षा सुविधा विहीन बस्तियों में नवीन प्राथमिक शालाएं खोली गई है ताकि समाज के सुविधा विहीन समूहों को विशेष रूप से इसका लाभ मिल सके। दिसम्बर 99 तक 5409 नवीन प्राथमिक शालायें खोली गयी एवं 9437 शिक्षकों की नियुक्ति की गई।

6.2 वैकल्पिक शालाएं

ऐसे बच्चों के लिये जो दूरस्थ अंचलों में रहते है या घुमक्कड़ समुदाय के है अथवा जो धरेलू काम काज में लगे या मजदूरी करने के कारण स्कूल नहीं जा पाते है, उनके लिये विशेष प्रकार की शिक्षा सुविधाऐं जिन्हें वैकल्पिक शालाएं कहा गया, प्रारम्भ की गई है। इन शालाओं में विद्यार्थी की सीखने की गति को ध्यान में रखकर सीखने सिखाने की नई प्रक्रिया विकसित की गई है। दिसम्बर 99 तक 5382 वैकल्पिक शालाएं खोली गई। अब यह शालाएं शिक्षा गारंटी शालाओं के नाम से पहचानी जाती है।

6.3 शिशु शिक्षा केन्द्र

कुछ बच्चों के विशेष रूप से बालिकाओं के स्कूल में ना जाने का या नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित न होने का प्रमुख कारण घर में अपने छोटे भाई बहिनों की देखभाल करना या फिर उन्हें स्कूल के लिये तैयार करना होता है। ऐसे बच्चों के लिये उन्हें आपने भाई बहिनों की देखरेख से मुक्त करने के लिये शिशु शिक्षा केन्द्र योजना प्रारंभ की गई है। दिसम्बर 99 तक डी.पी.ई.पी. प्रथम चरण के जिलों में 4030 शिशु शिक्षा केन्द्र खोले गये है।

6.4 झूलाघर

डी.पी.ई.पी. द्वितीय चरण के 15 जिलों में शिशु शिक्षा केन्द्र की अवधारणा पर ही झूलाघर प्रारंभ किये जा रहे है। नवम्बर 99 क 15 जिलों में 275 झूलाघर संचालित किये जा चुके है।

6.5 निर्माण कार्य (सिविल वर्क्स)

भवन निर्माण का कार्य पंचायतों की निर्माण समितियों के माध्यम से जनभागीदारी द्वारा कराया जा रहा है। इनमें शिक्षकों का प्रतिनिधित्व है तथा इन्हें विकासखण्ड एवं ग्राम निर्माण समितियों के नाम से जाना जाता है। इसके कारण उनमें स्वामित्व का भाव आया है व कम लागत के साथ ही गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

निर्माण कार्यों को सुलभता से क्रियान्वित करने हेतु मेनयुअल (निर्देशिका) को तैयार कर सभी संबंधितों को प्रेषित किया गया है।

दिसम्बर 1999 तक 198 विकास खण्ड स्त्रोत केन्द्रों, 4539 स्कूल भवनों, 4239 अतिरिक्त कक्षों, 5413 ई.जी.एस. शालाओं हेतु शैल्टर का निर्माण एवं 1499 मरम्मत कार्य पूर्ण किये जा चुके है।

7. ठहराव एवं उपलब्धि स्तर में वृद्धि

7.1 ठहराव एवं सम्पति स्तर वृद्धि हेतु शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार

इसमें समविष्ट है:–

– दक्षता आधारित पाठयक्रम का विकास
– सीखने–सिखाने की नई सामग्री का विकास
– उपयुक्त प्रशिक्षणों से शिक्षक की सामर्थ्य में वृद्धि

इन सभी अकादमिक हस्तक्षेपों का उद्देय सीखने–सिखाने की प्रक्रिया को आनन्ददायी बनाने, बच्चों को शाला में रूकने और शाला त्याग की प्रवृत्ति कम करने के उद्देश्य के किये जा रहे है। इनका उद्देश्य यह भी है कि बच्चों को ऐसे स्तर की शिक्षा दी जाये कि वे स्थायी दक्षताओं एवं कोशलों को अर्जित कर सके।

7.2 शाला में रूकने और सम्प्राति स्तर में वृद्धि हेतु अब तक किये गये कार्य

- पाठयक्रम का नवीनीकरण किया गया है और यह राज्य द्वारा राष्ट्रीय न्यूनतम अधिगम स्तर के अनुकूलन पर आधारित है।
- कक्षा 1 के लिये बाल मैत्रीपूर्ण शिक्षण विधियों को समाहित कर सीखने–सिखाने की सामग्री विकसित की गई है। गैर शासकीय अभिकरण द्वारा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सम स्तर पर गुणत पैकेज (मल्टीपिल पैकेज) का क्षेत्र परीक्षण कार्य म.प्र. में प्रथम बार हुआ है।
- प्रत्येक शिक्षण के बार–बार वार्षिक एवं सघन प्रशिक्षण का तंत्र स्थापित हुआ है। बाल मैत्रीपूर्ण शिक्षण विधियों में तथा कक्षा पांच की पुस्तको पर आधारित प्रशिक्षण जुलाई 99 में दिया गया है।
- वैकल्पिक शालाओं में प्रचलित पाठ्यक्रम ई. जी. एस. शालाओं में लागू किया गया तथा समस्त ई. जी. एस. गुरूजीयों को 12 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण माड्यूल जिला स्तर पर जिले की अकादमिक जरूरत के आधार पर विकसित किया गया ।

7.3 अकादमिक अनुवीक्षण एवं निरीक्षण

कक्षा की गतिविधियों के विकेन्द्रीकृत अकादमिक मूल्यांकन हेतु जिला एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिये :

- 369 विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र स्थापित किये है। पूर्ण कालिक अकादमिक मूल्यांकन के लिये प्रत्येक विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र पर 3 मास्टर ट्रेनर्स उपलब्ध कराये गये है।

- प्रति 10–12 शालाओं के लिये उप–विकासखण्ड स्तर पर संकुल स्त्रोत केन्द्र स्थापित कर कुल 6296 संकुल स्त्रोत केन्द्र कार्यरत है। प्रत्येक शाला की वैकल्पिक गतिविधियों को लगातार पूर्णकालिक अकादमिक सहयोग देने के लिये प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर अच्छे शिक्षक एवं पर्यवेक्षक चिन्हित कर लिये गये है।

शिक्षकों की सृजनात्मक ऊर्जा को जनजागरण द्वारा उत्प्रेरित करने की डी.पी.ई.पी. की एक महत्वपूर्ण अकादमिक उपलब्धि है। बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों की मार्गदर्शकों के रूप में यह प्रकट हुई है। अपने संकुल की प्रत्येक शाला के शिक्षकों के कार्य का निरीक्षण माह में एक बार करने, अकादमिक समस्याओं पर चर्चा करने एवं आवश्यकता पड़ने पर पुनर्वलन व सलाह देने के लिये एक अकादमिक समन्वयक जो कि एक प्राथमिक शिक्षक ही है का चयन किया गया है वह बाल मैत्री पूर्ण शिक्षण विधियों संबंधी समस्याओं पर संकुल की मासक बैठकों में भी भाग लेते है। इसी प्रकार की बैठकें निर्धारित तिथियों पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मध्यप्रदेश भोपाल में भी होती है।

इस प्रकार शाला एवं राज्य स्तर की अकादमिक आवश्यकताओं व संसाधनों के बीच नीचे से ऊपर तक एक पूर्ण अकादमिक संबंध स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुसार बच्चों की सार्वसंप्राप्ति में सुधार की दिशा में यह एक वृहद कदम है।

7.4 शाला आकस्मिक व्यय

प्रत्येक शाला को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। आकस्मिक व्यय हेतु प्रत्येक शाला को ग्राम शिक्षा समिति के खात में रुप्ये 3000/– प्रतिवर्ष दिये जाते है।

8. बालिका उन्मुख गतिविधियां

9-1 बालिका शिक्षा

मध्यप्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की योजनाएं तैयार करते समय इस बात का आभास हो गया था कि प्रदेश में बालिका शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है और सुधार लाने के लिए इस दिशा में ठोस कदम उठाया जाना आवश्यक है। अनुभव से निकाले गये निष्कर्षो के आधार पर बालिका शिक्षा के लिए विशेष रणनितियां तैयार की गयी।

1. इस बात की आवश्यकता महसूस की गयी कि बालिका शिक्षा की कठिनाईयों को जानेने के लिये हमे ग्राम स्तर तक जाना होगा और स्थानीय विशेष समस्याओं के परिप्रेक्ष्य ने निदानात्मक रणनीतियां तैयारी करनी होगी। इन रणनीतियों की परिकल्पना यदि राज्य या जिला स्तर पर की जाती है तो प्रभावहीन होगी। अतः राज्य/जिला स्तर के स्थान पर ग्राम स्तर पर योजनाएं बनाने का काम हाथ में लिया गया है।

2. यह कठिन उत्तरदायित्व था और जनभागिदारी की बहुत आवश्यकता थी। इस कार्य को करने के लिए ग्रामीण सहभागिता को एक प्रणाली के रूप में अपनाया गया। 19 डी.पी.ई.पी. जिला में एक संकुल के सभी गांवो के लिए इस प्रणाली का उपयोग करते हुए ग्राम चित्रण किया गया । इस समस्याओं के लिए जनभागीदारी के आधार पर ही निदानात्मक रणनीतियां बनायी गयी । सभी जिला महिला समन्वयकों को ग्रामीण सहभागी समीक्षा के उपयोग का सैद्धान्तिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया गया।

3. ये रणनीतियां बहुत प्रभावी सिद्ध हुई और जिन संकुलों में इस प्रकार के ग्राम चित्रण तैयार किये गये, वहां पर शिक्षा के प्रति अधिक जागरूकता देखी गई। बाद में सघन रूप से चलाये गये लोक सम्पर्क अभियान में भी लगभग इसी प्रणाली का उपयोग किया गया।

4. इसके साथ ही कार्यक्रम में पंचायतों की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए विकासखण्ड स्तर पर पंच–सरपंच सम्मेलन आयोजित किये गये और पंचायतों को उनकी भूमिका और उत्तरदायित्वों के प्रति अवगत कराया गया। महिला पंचों को बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया।

5. जिला और विकासखण्ड स्तर पर जेण्डर कोर ग्रुप की स्थापना की गयी और इसकी नियमित्त बैठके भी सुनिश्चित की गयीं।

6. बालिका शिक्षा के मुद्दे को कार्यक्रम की मुख्यधारा से जोड़ाने का प्रयास किया गया, इसके लिए लिंग संचेतना आधारित प्रशिक्षण डी.पी.ई.पी. के सभी कर्मियों को विशेष रूप से शिक्षको को दिया गया।

7. शिशु शिक्षा केन्द्रों/झूलाघरों को बालिका शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने वाली रणनीति के रूप में विकसित किया गया।

8. विभिन्न विभागों से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया गया, ताकि उन विभागों की योजना का लाभ बालिका शिक्षा के संदर्भ में उठाया जा सके। महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय करने हेतु प्रेरित करने का कार्य भी कुछ जिलों में प्रभावी तरीके से किया गया।

9. जिला महिला समन्वयकों की दक्षताओं का विकास करने के लिए उनके लिए सघन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। इस प्रशिक्षण का बहुत अधिक लाभ महिला समन्वयकों ने उठाया और उसका पूरा उपयोग अपने कार्यकलापों में उनके द्वारा किया ज़ा रहा है।

10. प्रचार–प्रसार के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हुए बालिका शिक्षा के लिए सकारात्मक रणनीतियां तैयार करने का प्रयास किया गया।

11. बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये 15 अगस्त'97 से 8 मार्च'98 तक महिला शिक्षा अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के तहत स्वयं सेवी संगठनों, पंचायतों व अन्य स्त्रेतों को बालिका शिक्षा से जोड़ते हुये प्रदेशभर में कुल 1620254 बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया। इनमें बालिकाओं की संख्या 759117 थी। 34 डी.पी.ई.पी. जिलों में इस दौरान विद्यालयों में दर्ज बच्चों की संख्या 1317861 थी जिसमें से 615577 बालिकाएं थी।

9. आदिवासी बच्चे

डी.पी.ई.पी. जिलों में शामिल आदिवासी बहुल्य जिलों में बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। आदिवासी बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं, प्रबंधन सुधार, शिक्षा की सुलभता एवं गुणवत्ता के लिये नियोजन निम्नानुसार है :

प्रबंधन सुधार

आदिवासी पृष्ठभूमि में राज्य परियोजना कार्यालय ;च्द्ध आदिवासी कल्याण विभाग ;ज्द्ध राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ;ब्त्ज्द्ध के प्रशासकीय अमूले एवं डी.पी.ई.पी. में आदिवासी शिक्षा के उद्देश्य एवं रणनीतियों की आपसी समझ और सहयोग बढ़ाने के लिये संयुक्त उन्मुखीकरण प्रक्रिया अपनाई गई है। आवश्यक प्रशिक्षण सामग्री राज्य परियोजना कार्यालय एवं आदिवासी कल्याण विभाग दोनो ने मिलकर तैयार की है।

सुलभता ; ।बबमेद्ध सुधार

आदिवासी कल्याण विभाग एवं डी.पी.ई.पी. दोनो ने व्यय वाहन व सहयोग से आवश्यकता आकलन कर 98 आश्रम शालाएं खोली है। शिक्षक कक्ष, फर्नीचर, आमोद–प्रमोद एवं आदिवासी भाषा, संस्कृति व समाजिक परिवेश के अनुसार बाल मैत्री पूर्ण शिक्षण विधियों के नवाचार को सम्मिलित कर शाला तैयार की है।

गुणवत्ता सुधार

इस सोच के साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आदिवासी समुदाय के सामाजिक, सांस्कृति और भाषायी गुणों के प्रति संवेदनशील प्रक्रिया है। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि –

- आदिवासी समुदाय की अधिगम आवश्यकताओं को सावधानीपूर्वक आकलन किया जाये।
- आदिवासी समुदाय की शैक्षिक आवश्यकतओं के अनुरूप बाल मेत्रीपूर्ण विधियों सबंधी शैक्षिक सामग्री एवं प्रक्रिया विकसित की जाये।

आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा आदिवासी शालाओं में स्थानीय बोली में शिक्षण कार्य की परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) चलाकर शोध अध्ययन किया।

सेतु भाषा शब्दावली का विकास

आदिवासी छात्रें के साथ गैर आदिवासी शिक्षकों के लिए स्थानीय बोली में बोलचाल कर सकने के लिए बोली शब्दावली का विकास किया गया है ताकि वे सामान्य पुस्तकों को स्थानीय आदिवासी बोली में प्रभावी ढंग से पढ़ा सके व जनसमुदाय से

भी इस बोली की सहायता से धीरे–धीरे हिन्दी इस स्थानीय बोली का स्थान ले लेगी। स्थानीय स्त्रोत व्यक्तियों व शिक्षकों की सहायता से सामग्री एवं प्रशिक्षण आयोजित होंगे। प्रथम चरण में यह कार्य धार, झाबुआ, बैतुल, शहडोल जिलों में किया गया है तथा भीली,, गौंडी एवं कुडुक भाषा में सेतु भाषा शब्दावली तैयार की गई।

पूरक पठन–पाठन सामग्री का निर्माण

झाबुआ जिले के जोबट एवं उदयगढ़ विकासखण्ड में स्थानीय भीली बच्चों के पूरक पठन–पाठन सामग्री का निर्माण कर पायलेट परियोजना के तहत लिया गया है। यह कार्य स्थानीय समुदाय शिक्षक एवं बच्चों की सहायता से किया जा रहा है। पूरक पठन–पाठन सामग्री में प्रचलित स्थानीय आदिवासी कहानीयां, लोकगीत, कविताएं, खेल, लोक्तोतियां, मुहावरे का उपयोग करते हुये शिक्षक एवं बच्चों के उपयोग के लिये निर्देश दिये गये है।

सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन

आदिवासी समुदायों के लिये स्थानीय आदिमजाति सांस्कुतिक प्रतिकों को मोबिलाईजेशन की व्यूह रचना का आधार बनाया गया है।

10. संगठनात्मक संरचना

प्रबंधन एवं शिक्षण संरचना

स्तर	प्रबंधन	अकादमिक सहयोग
भारत सरकार	मानव संसाधन विकास मंत्रलय डी.पी. ई.पी. ब्यूरो	एन.सी..ई.आर.टी. एवं नीपा
राज्य स्तर	साधारण सभा अध्यक्ष मुख्य मंत्री कार्यकारिणी समिति– अध्यक्ष प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग राज्य स्तरिय कियान्वयन समिति रा. गा. प्रा. शि. मिशन की विभिन्न कार्य संचालन समितियां – नियोजन एवं अनुविक्षण, प्रशिक्षण, वित्त, कय, निर्माण, जेंडर, मीडिया	एस. सी. ई. आर. टी. , एस. आई. ई. एम. टी. क्षेत्रिय शिक्षा संस्थान, भोपाल आदिवासी शोध संस्थान, भोपाल अशासकिय अभिकरण
जिला स्तर	जिला इकाई रा. गा. प्रा. शि. मिशन अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष जिलाध्यक्ष पदेन जिला मिशन संचालक मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत पदेन जिला परियोजना संचालक उप संचालक शिक्षा/सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग पदेन अतिरिक्त परियोजना संचालक जिला परियोजना समन्वयक सहायक समन्वयक वित्त जेण्डर समन्वयक जिला प्रबंधन सूचना प्रणाली इकाई	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ; डाइट द्व
विकासखण्ड स्तर	विकासखण्ड इकाई अध्यक्ष – जनपद पंचायत अध्यक्ष विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पदेन विकासखण्ड परियोजना अधिकारी विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक ; बी. आर. सी. सी. द्व	
संकुल स्तर	जन शिक्षा केन्द्र , जन शिक्षक	
ग्राम स्तर	ग्राम शिक्षा समिति	

ब वित्तिय नियम एवं प्रविधि स्थापना

कार्यकारिणी द्वारा वित्तिय एवं प्रशासकीय नियमो पर एक वित्तिय प्रणाली विकसित की है। स्पष्ट मापदण्ड व प्राविधियों के द्वारा ये नियम मिशन को वित्तिय स्वायत्ता प्रदान करते है।

भारत सरकार एवं म. प्र. सरकार द्वारा दी गई विधियॉ मिशन के जिला परियोजना कार्यालय को दे दी जाती है। तदपश्चात् राशि विकासखण्ड एवं संकुल स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वितरित किया जाता हैं। उल्लेखनीय है कि 85: राशि का व्यय जनपद एवं निचले स्तर पर किया जाता है। विधि एक सुपरिभाषित प्रक्रिया के अनुसार वितरित की जाती है।

• ' पढना बढना '

सामुदायिक सहभागिता आधारित मिशन प्रणाली की प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सफलता है और विशेषकर शिक्षा गारंटी योजना के तहत शिक्षा के क्षेत्र में उपजी सामाजिक जागृति के आधार पर अब म.प्र. में साक्षरता का कार्य भी विकेन्द्रित व्यवस्था के रूप में स्थानीय समुदाय की सौंपा जा रहा है। वर्षो से शिक्षा से वंचित बस्तियों–गांवों के स्थानीय निरक्षर व्यक्तियों में अपने बच्चों को स्कूल भेजकर, स्कूल प्रबंधन में हाथ बटाकर शिक्षा के प्रति लगाव पैदान हुआ है। इस संदर्भ में मध्यप्रदेश में साक्षरता नीति को पुर्नरीक्षित एवं और सुदृढ़ करते हुये साक्षरता कार्यक्रम को भी सामुदायिक सहभागिता से एक जनांदोलन का रूप दिया जा रहा हे। मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न एक शीर्ष बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्रदेश में साक्षरता का कार्य अब स्थानीय समुदाय को सौंपा गया है। इसके तहत पढ़ना–बढ़ना आंदोलन नामक पुर्नरीक्षित साक्षरता रणीनति तैयार कर सर्वप्रथम प्रयोगात्मक रूप में शिक्षा गारंटी स्कूलों वाले ग्रामों – मजरों , टोलों व बस्तियों में विगत 28 जुलाई 99 गुरू पूर्णिमा दिवस से लागू की गई है। दूसरे चरण में शेष बसाहटों में यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर 99 गांधी जयंती के दिन लागू की गई। इस नवीन नीति के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर निरक्षर व्यक्तियों को पढ़ना–बढ़ना समिति गठित कर संगठित किया जायेगा। समिति अपने गुरूजी का चयन स्वयं करेगी। गुरूजी कोई भी व्यक्ति–स्थानीय शिक्षित व्यक्ति (कम से कम 8 वी पास) जैसे – ई.जी.एस. शाला के गुरूजी, शिक्षक, पूर्ण साक्षरता कार्यकर्ता, स्वानिवृत्त व्यक्ति या कोई भी मैदानी कार्यकर्ता, युवक व युवती हो सकते है। एक समिति में लगभग 20 से 40 निरक्षर व्यक्ति शामिल होंगे। निर्धारित प्रकियाएं पूर्ण करने में समिति को जिला स्तर से ही मान्यता व गुरूजी को प्रशिक्षण आदि प्रदान किया जायेगा। गुरूजी के रूप में चिन्हित व्यक्ति को मानदेय स्वरूप प्रति साक्षर व्यक्ति 100/– रूपये गुरूदक्षिणा राज्य शासन द्वारा वर्ष के अंत में किये जाने वाले मूल्यांकन में उत्तीर्ण व्यक्तियों के मान से प्रदान की जायेगी। अपने–अपने गुरूजियों को गुरूदक्षिणा नवसाक्षरों के द्वारा ही एक समारोह आयोजित कर प्रदान की जायेगी।

इन प्रयासों एवं इनसे परिलक्षित परिणामों पर नजर डाले तो हम निश्चित ही कह सकते हैं कि वर्ष 1991 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक पिछड़े चार प्रदेशों में गिने जाने वाले मध्यप्रदेश की स्थिति नयी शताब्दी की शुरूआत में पहले से कहीं बेहतर होगी।

मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम

निगम की गतिविधियों अद्यतन जानकारी

01 *उद्देश्य एवं संगठनः—*

मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम की स्थापना, मध्यप्रदेश सोसायटी, रजिस्ट्रेशन एक्ट,1959 सहपठित मध्यप्रदेश सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम —1973 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा दिनांक 07.08.1968 को की गई हैं । इस निगम का कार्य संचालन मध्यप्रदेश पाठयपुस्तक निगम विनियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार होता है। इन प्रावधानों के अंतर्गत अपने ध्येय एवं उद्देश्यों के अनुसरण में " न लाभ न हानि " के सिध्दांत पर कार्य करते हुये निगम द्वारा प्रदेश के छात्र—छात्राओं के लिये अच्छी पाठ्येत्तर पुस्तकें मुद्रित कराई जाकर उचित एवं किफायती मूल्यों में समय पर उपलब्ध करायी जाती है।

02 *बजट :—*

वर्ष 1998—99 के पुनरीक्षित तथा वर्ष 1999—2000 के बजट अनुमान तैयार किए जाकर दिनांक 21.02.2000 को आयोजित शासक मण्डल/ साधारण सभा की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जा रहे है। वर्ष 1999—2000 के बजट अनुमान में राशि रू. 4266.15 लाख की प्राप्तियॉं एवं राशि रू.4016.45 के भुगतान का प्रस्ताव दिया गया ।

03 *नीतिगत उत्तरदायित्व :—*

निगम का नीतिगत उत्तरदायित्व स्कूली छात्र—छात्राओं को यथा समय उचित मूल्य पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये निगम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा तैयार की गई पुस्तकों का प्रकाशन करता है तथा शिक्षकों के लिए अध्यापन पुस्तिकाओं का प्रकाशन भी समय समय पर करता है।

04 *गतिविधियां :—*

4.1 *पुस्तकों का लेखन :—*

निगम के गठन के बाद से पुस्तकों का लेखन का कार्य भी निगम स्तर पर ही किया जाता था,किन्तु वर्ष 1986 से पाठ्यपुस्तकों के लेखन का कार्य राज्य शासन के निर्देशानुसार राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को सौपा गया है । राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संस्था मे कार्यरत अमले तथा बाहरी विशेषज्ञों से पुस्तकों के लेखन, सम्पादन तथा चित्राकंन का कार्य कराया जाता है। राज्य शासन द्वारा इन पुस्तकों के विहितीकरण के उपरान्त प्रकाशन का कार्य इस निगम द्वारा किया जाता है। निगम द्वारा हिन्दी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त मराठी,उर्दू , गुजराती,सिन्धी,बंगला तथा उडिया भाषा की पुस्तकें भी प्रकाशित की जाती है।

4.2 *कक्षा –11 वीं एवं 12वीं के लिये पाठ्यपुस्तकों का लेखन :–*

निगम द्वारा शिक्षा सत्र 2000–2001 में कक्षा 11 वी एवं 12 वी के लिये वाणिज्य संकाय की पुस्तकों का प्रकाशन किया जाना प्रस्तावित है।

4.3 *विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मुद्रण कार्य :–*

निःशुल्क पाठयपुस्तक वितरण योजना के अंर्तगत आयुक्त, लोक शिक्षण,आयुक्त, आदिवासी विकास और आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास के लिये पाठयपुस्तकों का मुद्रण मॉग के अनुसार निगम द्वारा कराया जाता है।

दिनांक 31.12.99 की स्थिति में निगम को प्राप्त होने वाली शेष राशि के विवरण निम्नानुसार है :–

1. आयुक्त लोक शिक्षण	रू.	4,12,02,605.00
2.आयुक्त आदिवासी विकास	रू.	14,55,549.00
3.आयुक्त अनुसूचित जाति विकास	रू.	24,68,409.00
4. एस.सी.ई.आर.टी.	रू.	1,26,31,090.00
5.राजीव गांधी मिशन भोपाल	रू.	2,89,96,100.00
कुल योग	रू	8,67,53,733.00

05 *मुद्रण तथा प्रकाशन :–*

अनुमोदित पाण्डुलिपियों की प्राप्ति के उपरान्त निगम द्वारा मुद्रण का कार्य निगम में पंजीबद्ध मुद्रकों अथवा देश के किसी भी पाठ्यपुस्तक निगम से पंजीबद्ध मुद्रक से कराया जाता है, जिन्हें न्यूनतम दरों एवं क्षमता के आधार पर मुद्रण कार्य आवंटित किया जाता है।

05,1 मुंद्रण कार्य की स्थिति :–

शिक्षा सत्र 1999–2000 पाठय पुस्तकों के मुद्रण के लिये दिनांक 22/10/98 हेतु शासन की पारदर्शिता संबधी नीति के परिक्षेक्ष्य में निगम बोर्ड/ब्युरो में पंजीबद्व मुद्रकों से निविदा प्राप्त किये जाने के लिये अखिल भारतीय स्तर के समाचार पत्रों के माध्यम से खुली निविदांये आंमत्रित की गई है । कुल 71 निविदांये प्राप्त हुई । प्राप्त निविदांओं के आधार पर राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र ,भोपाल स्थित शासकीय कम्प्युटर से आवेदन प्राप्त किया जाकर दिनांक 23/01/99 को 47 मुद्रकों को कार्यादेश दिये गये। वर्ष 2000–2001 के लिये पुस्तकों के मुद्रण हेतु माह अगस्त 99 की निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित कर निविदायें आंमत्रित की गई थी, जिनके संदर्भ में 70 निविदांये प्राप्त हुई थी,जिनमें से 58 मुद्रकों को कार्य आंवटित हुआ। जिनसे अनुबंध कराया जायेगा । कार्यादेश जारी किये जा रहे है ।

05,2 सत्र 1999–2000 की पुस्तकों का मुद्रण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है । आज दिनांक तक शत प्रतिशत पुस्तकें छपकर निगम के डिपों में प्राप्त हो चुकी है ।

05,3 पूर्व में एस0सी0ई0 से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पुस्तकों की सी आर सी प्रदाय की जाती थी किन्तु शिक्षा सत्र 1999–2000 से राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार निगम सी आर सी स्तर पर ही तैयार की जा रही है ।

मुख्य समस्या निम्नानुसार है :–

1. पुस्तकों के परिवर्तन/संशोधन की जानकारी यथा समय प्राप्त न होना ।

2. विभिन्न योजनाओं में शासन द्वारा क्रय की जाने वाली पुस्तकों की टाईटिल वार जानकारी यथा समय प्राप्त न होना ।

3– परिवर्तन / सशोंधित पुस्तकों की पाण्डुलिपि यथा समय पर प्राप्त न होना ।

उपरोक्त समस्याओं के कारण कार्य यथा समय प्रारंभ नहीं किया जा पाता जिसका विपरित प्रभाव यथा समय कार्य पूर्ति पर पडता है ।

06 *पुस्तकों का वितरण :–*

पूरे राज्य में निगम द्वारा प्रकाशित पाठय पुस्तकों का वितरण 18 डिपों से किया जाता है। दूरस्थ अंचलों एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रो में विघार्थियों को पाठय पुस्तक उपलब्धता सुनिश्चित करने के उददेशय से निगम द्वारा गुना सिवनी शहडोल पन्ना एवं होंशगाबाद में डिपों खोले ज़ा चुके है । यह डिपों विभिन्न संभागीय मुख्यालयों तथा क्षेत्रो में जिला मुख्यालयो पर भी स्थित है। भोपाल में एक डिपों राज्य शैक्षीक अनुशंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के विक्रय के लिये भी स्थापित किया गया है। इन डिपों से पुस्तकों का प्रदाय निगम के पंजीयक प्रकाशकों को किया जाता है ।

07 *अन्य गतिविधियां :–*

छात्र छात्राओं को पुस्तकें उचित मूल्य पर पाठय पुस्तकें उपलब्ध कराने के कराने के अतिरिक्त निगम द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों का भी संचालन किया जा रहा है ।

(1) *शाला भवनों के निर्माण हेतु अनुदान :–*

निगम द्वारा दिनांक 31/12/99 तक 44 प्राथमिक,104 माध्यमिक तथा 46 हाई स्कूल / हा0 से0 स्कूल के निर्माण की स्वीकृति दी जाकर इस मद में अब तक राशि रूपये 374,73 लाख संबधित जिलाध्याक्षों को उपलब्ध कराई जा चुकी है । जिसमें जबलपुर में भुकंप से धराशाही शालाओं के निर्माण के लिये दी गयी राशि रूपये 10,92 लाख भी शामील है । वर्ष 1999–2000 में उक्त लेखा शीर्ष का नाम परिवर्तित कर शैक्षणिक एवं पाठय पुस्तक संवर्धन गतिविधियाँ नामक नया लेखा शीर्ष निर्धारित किया गया है। वर्ष 1999–2000 में इस मद में राशि रूपये 50,00 लाख के व्यय का प्रावधान किया गया है जिसके विरूद्व अब तक राशि रूपये 39,29 लाख उपल्बध कराई जा चुकी है ।

(2) *होनहार विधार्थियों को वित्तिय सहायता :–*

निगम द्वारा होनहार विधार्थियों को वित्तिय सहायता देने की योजना 1983–84 में प्रारंभ की गई थी । इस योजना में सामान्य वर्ग,अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जन जाति, पिछडा वर्ग, बालिका वर्ग तथा विकलांग वर्ग के जिला स्तर पर बोर्ड की 5 वीं परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विधाथियों को 6 वीं, 7 वीं तथा 8 वीं कक्षा में अध्ययन के लिए प्रतिवर्ष रूपये 500,00 संभाग स्तर पर बोर्ड की 8 वीं परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विधार्थियों को 9 वीं तथा 10 वीं कक्षा में अध्ययन के लिए रूपये 1000,00 प्रतिवर्ष तथा 11 एवं 12 वीं कक्षा में अध्ययन के लिए

रूपये 1500,00 प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाती हैं । इस मद में अब तक रूपये 7,64 लाख राशि प्रदान की जा चुकी हैं ।

(3) *खेलकूद गतिविधियों तथा खेल सामग्री का प्रदाय :–*

वर्ष 1997–98 में राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले म,प्र, के खिलाडियों को पुरूस्कृत करने तथा संस्थाओं को खेल सामग्री प्रदाय करने की योजना प्रारंभ की गई है । वर्ष 1999–2000 में इस मद में राशि रूपये 1.00 लाख का प्रावधान किया गया है ।

(4) *विविध शेक्षिक गतिविधियॉ :–*

वर्ष 1999–2000 में इस मद में राशि रूपये 6,00 लाख के व्यय का प्रावधान किया गया है । जिसके विरूद्व अब तक रूपये 3,55 लाख का व्यय हुआ ।

(5) *फर्नीचर एवं टाट पटटी का प्रदायः–*

वर्ष 1997–98 से पाठशालाओं में फर्नीचर एवं टाटपटटी प्रदाय करने की योजना प्रारंभ की जाकर इस मद में राशि उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 1999–2000 में इस मद में राशि रूपये 20.00 लाख के व्यय का प्रावधान किया गया है ।

(6) *मुख्यालय के भवन का निर्माण :–*

भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित प्रशासनिक क्षेत्र में निगम के मुख्यालय के भवन का निर्माण कार्य राजधानी परियोजना प्रशासन के माध्यम से माह अप्रेल 93 से प्रारंभ किया गया था । भवन के 'ए' विंग का निर्माण पूर्ण होकर माह जुलाई 1999 निगम मुख्यालय इसमें स्थानान्तरित हो चुका है। भवन के 'बी' विंग जो एस0सी0ई0आर0टी0 को विक्रय किया जा रहा है , का निर्माण कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है । केवल कुछ फिनिशिंग कार्य शेष है ।

8 *लक्ष्य एवं उपलब्धियाः–*

वर्ष 1999–2000 के एम,ओ,यु, में निगम के लिये निर्धारित लक्ष्य एवं प्राप्त उपलब्धियों के विवरण निम्नानुसार है :–

1. पाठ्यपुस्तकों का विक्रयः—

निगम द्वारा वर्ष 1999—2000 में राशि रुपये 3500 लाख मुल्य की 370 लाख पुस्तकों के विक्रय का लक्ष्य रखा गया है , जिसके विरुद्व अब तक 2984.45 लाख मुल्य की 346.75 लाख पुस्तकों का विक्रय हो चुका है।

2. पाठ्यपुस्तकें यथा समय डिपोज में उपलब्ध कराना:—

निगम द्वारा एम.ओ.यू. में दिनांक 1.7.1999 तक पुस्तकें डिपोज में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, किंतु हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन द्वारा पहले गोहाटी हाई कोर्ट में तथा उसके उपरांत जबलपुर हाईकोर्ट से कागज क्रय के संबन्ध में स्टे आर्डर प्राप्त करने के कारण कागज क्रय की प्रक्रिया अवरुद्व हो गई थी। न्यायालयीन प्रकरणों का निपटारा होने के पश्चात ही कागज क्रय की प्रकिया आरंभ हुई और इससे मुद्रण कार्य विलम्बित हुआ परंतु इसके उपरांत भी दिनांक 30.9.99 तक सभी पुस्तकें उपलब्ध कराई गयी।

3. बचतः—

वर्ष 1999—2000 में राशि रुपये 1000,00 लाख की बचत का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्व अब तक लगभग राशि रुपये 805.00 लाख की शुद्व बचत परिलक्षित हुई है। वित्तिय वर्ष की समाप्ति तक निर्धारित बचत का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

4. लेखाओं का संकलनः—

वर्ष 1999—2000 में वर्ष 1998—99 के लेखाओं के संकलन का लक्ष्य रखा गया है तथा यह लेखे संकलित हो चुके हैं।

5. वैधानिक अंकेक्षणः—

मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम में राज्य शासन के स्थानीय निधि सम्परीक्षा विभाग से वैधानिक अंकेक्षण की व्यवस्था की गई है तथा अंकेक्षण कार्य अद्यतन है।

6 वार्षिक प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर रखे जाना :–

वर्ष 1999–2000 में वर्ष 1998–1999 के वार्षिक प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर रखने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त लेखें विधान सभा के माह फरवरी 2000 से प्रारंभ होने वाले बजट सत्र में रखे जाएंगे।

7 स्थापना व्ययः–

वर्ष 1999–2000 में स्थापना व्यय पुस्तकों की कुल विक्रय राशि के 8 प्रतिशत सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्व अब तक 8.8 प्रतिशत स्थापना व्यय हुआ है। निर्धारित प्रतिशत से अधिक व्यय निगम कर्मचारियों को पांचवा वेतनमान का लाभ देने के कारण हुआ है।

8 इनवेंट्री कंट्रोलः–

अ. कागजः–

1 जुलाई 1999 तथा 1 अक्टूबर 99 को कागज का स्टाक कुल आवश्यकता के क्रमशः 30 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके विरुद्व 1 जुलाई 1999 तथा 1 अक्टूबर 1999 को क्रमशः 11.63 प्रतिशत एवं 4.61 प्रतिशत कागज स्टाक में रहा।

ब. पाठ्य पुस्तकेंः–

1 अक्टूबर 99 की पुस्तकों का स्टाक 50 लाख तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके विरुद्व उक्त तिथि को 40.87 लाख पुस्तकों का स्टाक रहा।

शासन से अपेक्षाऐंः–

01 पाठ्यक्रम में परिवर्तन की जानकारी एस.सी.ई.आर.टी. / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश द्वारा समयानुसार निगम को उपलब्ध कराई जायेगी।

02 निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण की विभिन्न योजना अंतर्गत क्रय की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों की एकजाई जानकारी आयुक्त, लोक शिक्षण के माध्यम से (आयुक्त, आदिवासी विकास एवं आयुक्त, अनु. जाति विकास विभाग की योजनाओं के अंतर्गत क्रय की जाने वाली पुस्तकों को मिलाकर) 30 दिसंबर तक निगम को प्राप्त हो जावें। पिछले वर्षो में यह जानकारी समय पर प्राप्त न होने के कारण कठिनाई रही है तथा पुस्तको के अप्रचलित हो जाने की स्थिति भी निर्मित हुई है।

0.3 निःशुल्क पाठय पुस्तक वितरण योजनाओं हेतु मुद्रित की गई पुस्तकों की धनराशि आयुक्त, लोक शिक्षण (आयुक्त, आदिवासी विकास एवं आयुक्त, अनु. जाति विकास द्वारा देय राशियों का मिलाकार) द्वारा अग्रिम के रुप में जमा कराने का प्रयास किया जायेगा।

0.4 विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदाय की गई पुस्तको के विरुद्ध अवशेष धनराशि शीघ्र निगम को भुगतान कराने का प्रयास किया जायेगा।

0.5 शासकीय विभागों द्वारा उनकी मांग के अनुसार पुस्तकों के उठाव का प्रयास किया जावेगा।

0.6 विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मांग के आधार पर पुर्ण मुद्रित पुस्तकों की राशि निगम को दी जावेगी। यदि मांग से कम पुस्तकें उठाई जाती है तो पुस्तकें अप्रचलित होने की दशा में शेष राशि निगम को दी जावे।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., वर्तमान में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 (क्रमांक –23 सन् 1965) द्वारा शासित एक स्वायत्तशासी निगमित निकाय है। मण्डल का कार्य संचालन माध्यमिक शिक्षा मण्डल विनियम 1965 के प्रावधानों के अनुसार होता है।

मण्डल सदस्यों की सूची :–

(वर्ष 1998–2001)

पदेन सदस्य :–

1. अध्यक्ष , माध्यमिक शिक्षा मण्डल
2. आयुक्त , लोक शिक्षण संचालनालय
3. आयुक्त , आदिम जाति विकास
4. संचालक, तकनीकी शिक्षा
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा
6. संचालक, खेलकूद एवं युवक कल्याण
7. आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा नाम निर्दिष्ट – संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, भोपाल– संभाग
8. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट – श्री आर. के . तिवारी, उपसचिव , स्कूल शिक्षा
9. वित्त विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट – श्री अवध बिहारी, उपसचिव, वित्त विभाग
10. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट – शासन से अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है । (स्नातकोत्तर विद्यालय का एक प्राचार्य)
11. कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट – शासन से अभी सूचना प्राप्त नहीं हुई है । (वि.वि. का एक कुलसचिव)

राज्य शासन द्वारा नाम निर्दिष्ट – राज पत्र दिनांक 14 सितम्बर 1998 में प्रकाशित अधिसूचना

1. कु. सत्यवती किन्डो, प्राचार्य शा.उ.मा.वि. दरिमा, सरगुजा
2. श्री एस. के रायचन्दानी , प्राचार्य केम्ब्रिज उ.मा.वि. , भोपाल
3. श्रीमति कृष्णा परते, प्राचार्य शा.उ.मा.वि. जहांगीराबाद, भोपाल
4. डॉ दीदार सिंह, प्राचार्य शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल
5. श्री एम.डी. त्रिपाठी, व्याख्याता, डाइट ,सागर
6. श्रीमती विजयलक्ष्मी ठक्कर, सहा. प्रा. , एस. सी.ई.आर.टी, भोपाल
7. श्री रामस्वरुपसिंह यादव, प्राचार्य शा.क.उ.मा.वि. , क्र. 2 मुरैना
8. श्री कपिल नारायण देवांगन, प्रधान अध्यापक मा. शा., देवकर, पोस्ट–देवकर(साजा), दुर्ग
9. श्री एन. कुजूर, प्राचार्य शा.उ.मा.वि. , देवकर , दुर्ग
10. श्रीमती संगीता शर्मा ,व्याख्याता , एम.एल.बी. विद्यालय, सागर
11. श्री जी. एस. ठाकुर, मिशन हाईस्कूल सिवनी,(महावीर वार्ड , सिवनी)
12. श्री गणेश गोसेवक, सामाजिक कार्यकर्ता, मु.पो. बेरला, दुर्ग

13. श्री प्रदीप चौहान , मु.पो. बकतरा, तह. बुदनी, जि. सीहोर
14. श्री यू.व्ही.सिंह, से.नि. प्राचार्य , शा. महा. वि. भोपाल
15. श्री वीरेन्द्र तिवारी , डी. –5 , स्वामी दयानन्द नगर, भोपाल

कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट – पदेन सदस्य (राजपत्र दिनांक 21 सितम्बर 1998 में प्रकाशित अधिसूचना)

1. श्रीमती निर्मला चतुर्वेदी, प्राचार्या , शा. गीतांजली महाविद्यालय, भोपाल
2. सुश्री केसर जमा, ऑल सेन्ट स्कूल ईदगाह हिल्स भोपाल

राज्य शासन द्वारा नाम निर्दिष्ट विधायक सदस्य

अभी नये विधायकों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश ,भोपाल के संचालन हेतु विभिन्न समितियों के नाम :–

1. कार्यपालिका समिति
2. वित्त समिति
3. मान्यता समिति
4. परीक्षा समिति
5. स्क्रूटिनी समिति
5. परीक्षाफल समिति
7. स्त्री शिक्षा समिति
8. शिक्षक कल्याण कोष समिति
9. केरीकुलम समिति

शिक्षा मण्डल कार्यालयों के नाम :–

मुख्यालय – माध्यमिक शिक्षा मण्डल ,म.प्र. अरेरा हिल्स, भोपाल

आंचलिक कार्यालय –

1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल , जेलरोड चिमनबाग– इंदौर
2. माध्यमिक शिक्षा मण्डल , पेंशनवाड़ा – रायपुर

संभागीय कार्यालय –

1. संभागीय कार्यालय, 55 माणिक निवास कालोनी, ग्वालियर
2. संभागीय कार्यालय, साख्याराजा धर्मशाला, बस स्टेण्ड के पास , उज्जैन
3. संभागीय कार्यालय, तानसेन काम्पेक्स, बी. ब्लाक, द्वितीय मंजिल, सिरमौर चौराहा,रीवा
4. संभागीय कार्यालय, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर
5. संभागीय कार्यालय, जेल रोड, चिमनबाग, इंदौर
6. संभागीय कार्यालय, पेंशन वाड़ा, रायपुर
7. संभागीय कार्यालय, गांधी चौक, सूर्य भवन, दयालबन्द,बिलासपुर
8. संभागीय कार्यालय, रामाश्रय भवन के सामने, सागर
9. संभागीय कार्यालय, मण्डल परिसर, भोपाल

जिला कार्यालय –

1. जिला कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, जगदलपुर (म.प्र.)

आदर्श विद्यालय –

1. आदर्श उ.मा.वि. टी.टी. नगर, भोपाल,म.प्र.
2. आदर्श उ.मा.वि. सिविल लाईन्स रीवा,म.प्र.
3. आदर्श उ.मा.वि. जावरा (रतलाम) म.प्र.

मुद्रणालय –

मण्डल भवन परिसर में स्वयं का मण्डल मुद्रणालय भी है। मण्डल के दैनिक उपयोगी कार्य में आने वाले पत्र,प्रपत्र, आवेदन पत्र आदि मुद्रित किये जाते हैं।

मण्डल का अपना कार्यालय भवन है। इसी परिसर में मण्डल का अपना विश्रामगृह तथा दो भवन हैं। जिसमें राज्य ओपन स्कूल , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्या. , एस. सी. ई.आर.टी. , राज्य भाषा एवं संस्कृति के कार्यालय लगते हैं। तथा एक कमर्शियल बैंक की शाखा है। कार्यालय भवन से लगभग दो कि.मी. दूर मण्डल कर्मचारियों के लिये एक आवासीय कॉलोनी है। जिसमें वर्तमान में 526 आवास गृह हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों के सार्वजनिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों हेतु एक कम्युनिटी हॉल, एक मनोरंजन केन्द्र तथा खिलाड़ियों के लिये खेल का मैदान है। मण्डल में वॉलीवाल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। कर्मचारियों की चिकित्सा हेतु कालोनी स्वयं की डिस्पेंसरी है।

मण्डल के प्रमुख पदाधिकारी –

स.क्र.	नाम एवं पद	पी.बी.एक्स. 551166–551171	दूरभाष	
			कार्यालय	निवास
1	श्रीमती ताजवर रहमान साहनी, आई.ए.एस., अध्यक्ष (म.प्र. शासन द्वारा नियुक्त)	–– "–––	551544	574450
2	श्री राजकुमार पाठक, रा.प्र. से. सचिव (म.प्र. शासन द्वारा नियुक्त)	–– "–––	551650	764858
3	श्री सी.एम. यादव, अति. सचिव	–– "–––	552061	564129
4	डॉ शरद तिवारी, उपसचिव (प्रतिनियुक्ति पर)	–– "–––	573806	763213
5	श्री आर.व्ही. गुप्ता , प्र. वित्त अधिकारी.	–– "–––	550848	588612
6	श्री एस.एस. खान, पंजीयक	–– "–––	–	767948

7	श्री विष्णुप्रसाद ,पंजीयक	—— "———	—	567211
8	श्री एन.एल. बाकरिया, पंजीयक	—— "———	—	568082 566913
9	श्री बी.एस. एलावादी, पंजीयक	—— "———	—	575423
10	श्री इरशाद अली, जनसम्पर्क अधिकारी	—— "———	—	565166

कार्यालयीन स्टाफ –

स.क्र.	पद कानाम	स्वीकृत पद संख्या
1	सभापति	01
2	उप सभापति	01
3	सचिव	01
4	अतिरिक्त सचिव	01
5	परीक्षा पंजीयक	01
6	उपसचिव	01
7	प्रथम श्रेणी अधिकारी एवं समकक्ष पद	14
8	सहायक सचिव एवं समकक्ष पद	58
9	कक्षाधिकारी एवं समकक्ष पद	164
10	तृतीय श्रेणी	1057
11	चतुर्थ श्रेणी	473
	योग	1772

मण्डल के मुख्य कार्य –

1. हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की परीक्षाओं का संचालन
2. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के लिये प्रस्तावित पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश और पाठ्यपुसतकों हेतु शासन को सलाह देना।
3. पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण कार्य।
4. मध्यप्रदेश में स्थित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की मान्यता ।
5. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के स्तर को उच्च करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाना ।
6. अन्य गतिविधियां

1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा निम्नलिखित परीक्षाओं का संचालन किया जाता है –

   1. हाईस्कूल प्रमाण–पत्र परीक्षा
   2. हाईस्कूल पत्राचार (ओपन) परीक्षा
   3. हायर सेकेण्डरी (+2) स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा
   4. हायर सेकेण्डरी (टेक्निकल) स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा
   5. हायर सेकेण्डरी (+2) स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा
   6. शारीरिक प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र परीक्षा
   7. पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र परीक्षा
   8. डिप्लोमा इन एज्यूकेशन प्रमाण–पत्र परीक्षा

जिसमें से हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी (+2) परीक्षायें मुख्य हैं। वर्ष 1998–99 में सम्मिलित होने वाले छात्रों की संख्या एवं उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निम्नानुसार है :–

स.क्र.	परीक्षा का नाम	सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण	प्रतिशत
1	हायर सेकेण्डरी (नियमित)	274425	197988	72.15
	(स्वाध्यायी)	61494	27588	44. 86
		335919	225576	67.15
2	हाईस्कूल (नियमित)	587437	238426	40.59
	(स्वाध्यायी)	30218	6501	21.51
		617655	244927	39.65
3	हाईस्कूल (पत्राचार)	89153	8966	10.06

वर्ष 1999–2000 की हाईस्कूल परीक्षा में 8,00,000 तथा हायर सेकेण्डरी परीक्षा में 400000 छात्र सम्मिलित होना संभावित हैं तथा कुल संभावित संख्या 12,00,000 है।

वर्ष 1999–2000 में मान्यता प्राप्त संस्थाओं की जानकारी निम्नानुसार है –

स.क्र.	परीक्षा का नाम	मान्यता प्राप्त संस्थाओं की संख्या
1	हाईस्कूल	8324
2	+2 हायर सेकेण्डरी	4061

वर्ष 1998–99 में मान्यता प्राप्त संस्थाओं की जानकारी निम्नानुसार है –

स.क्र.	परीक्षा का नाम	केन्द्र संख्या
1	हाईस्कूल	3190
2	+2 हायर सेकेण्डरी	2593

2. पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन –

मण्डल की परीक्षाओं के लिये 12 वीं कक्षा तक पाठ्यपुस्तकें तैयार करने का कार्य राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद करती है। उनके द्वारा तैयार पुस्तकें मण्डल के परामर्श से राज्य शासन द्वारा विहित की जाती हैं।

3. पत्राचार पाठ्यक्रम –

सुदूर शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा मण्डल ,मध्यप्रदेश को देश में प्रथम होनें का गौरव प्राप्त है। वर्ष – 1966 में पहली बार मण्डल में पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से सुविधा के अन्तर्गत छात्रों को मण्डल की इन्टरमीजिएट परीक्षा में प्रविष्ट कराया गया है। वर्ष 1998–99 में लगभग 1,10,000 छात्रों को पत्राचार के माध्यम से हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी की परीक्षा में प्रविष्ट कराया गया। पत्राचार पाठ्यक्रम के छात्रों के लिये छात्र सम्पर्क कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र में दो बार आयोजित किये जाते हैं। वर्तमान में निम्न परीक्षाओं के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण की सुविधा है :–

(एक) हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा

(दो) हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा

(तीन) डिप्लोमा इन एज्यूकेशन प्रमाण–पत्र

4. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के स्तर के उन्नयन हेतु प्रयास –

(एक) <u>प्रशिक्षण कार्यक्रम :–</u>

प्रदेश में शिक्षण स्तर के उन्नयन हेतु, माध्यमिक शिक्षा मण्डल सदैव प्रयत्नशील रहा है। विज्ञान एवं गणित शिक्षकों के विषय ज्ञान को बदले पाठ्यक्रम के अनुरुप बनाने हेतु शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम– 7 अक्टूबर 1992 में शुभारंभ हुआ।

वर्ष 1998–99 में कुल 09 शिविर रखे गये थे पर 1999–2000 में 11 शिविर थे इसमें से 3 प्राचार्यें तथा 8 शिक्षकों के, तथा इसमें कुल 158 ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

(दो) ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की विज्ञान प्रदर्शनी :–

ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन वर्ष 1994–95 से किया गया। प्रदर्शनी में समस्त ग्रामीण क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शासकीय व अशासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के कक्षा 9 वीं से कक्षा 12 वीं तक के नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी ही भाग ले सकते हैं। जिला स्तरीय प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त प्रादर्श को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में प्रवेश दिया जाता है। इसमें तीन श्रेष्ठ प्रादर्शों को प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रुपये 3000/–, 2000/– एवं 1000/– की राशि प्रदान की जाती है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. स्कूली छात्रों में शैक्षणिक गतिविधियां एवं अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1985–86 से शालेय पत्रिका प्रतियोगिता का आयोजन कर श्रेष्ठ पत्रिकाओं को पुरस्कृत करता आ रहा है। वर्ष 1998–1999 तक शालेय पत्रिका प्रतियोगिता तीन वर्गों शहरी समूह, ग्रामीण समूह एवं हस्तलिखित समूह में 102 पत्रिकायें प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक वर्ग की पत्रिका को प्रथम पुरस्कार रुपये 1000/– , द्वितीय पुरस्कार 750/–, तृतीय पुरस्कार रुपये 500/– एवं इसके अतिरिक्त प्रत्येक की 5–5 पत्रिकाओं को सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा फ्रेंच भाषा अटेस्टेशन सर्टिफिकेट कोर्स के लिये सप्ताह में तीन दिन फ्रेंच भाषा सीखने, एलियेन्स फ्रान्सेस भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में स्कूली नियमित छात्र/छात्राओं को निःशुल्क तथा वयस्कों के लिये पूर्ण सत्र के लिये शुल्क रुपये 300/– में कक्षायें आयोजित की जाती हैं। वर्ष 1999 में कुल 52 छात्रों ने प्रवेश लिया।

(तीन) एकल प्रश्नपत्र प्रणाली :–

मण्डल द्वारा वर्ष 1995 से एकल प्रश्न पत्र प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली से छात्रों को लाभ हुआ है। जैसे कि प्रश्नपत्रों की संख्या कम हो जाने के फलस्वरुप मण्डल ने परीक्षा शुल्क में एक तिहाई कमी कर दी है। जिससे छात्रों को आर्थिक बोझ में कमी आई। परीक्षा सम्पन्न करवाने हेतु कुल कार्य दिवसों में कमी आई है। मूल्यांकन कार्य शीघ्रता से होता है। परीक्षाफल की घोषणा भी शीघ्र की जाती है। परिक्षार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये अवसर उपलब्ध होते हैं।

(चार) परीक्षा कार्यक्रम में सुधार :–

वर्ष 1998 से नियमित छात्रों के लिये पूर्वान्ह में तथा स्वाध्यायी/पत्राचार के विद्यार्थियों के लिये अपरान्ह में परीक्षायें आयोजित होती हैं। तदनुसार नियमित तथा स्वाध्यायी/पत्राचार के परीक्षार्थियों के लिय प्रश्न पत्र भी पृथक–पृथक होते हैं। कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं के नियमित परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षायें वर्ष 1999 से मण्डल द्वारा संचालित वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा के उपरान्त सम्पन्न करवाई गई हैं।

(पाँच) नकल प्रवृत्ति रोकने के उपाय :–

वर्ष 1999 में मण्डल द्वारा संचालित परीक्षाओं म एकल प्रश्नपत्र के ही तारतम्य में सभी प्रमुख विषयों में बहुप्रश्नपत्र पद्धति के तहत छात्रों को तीन सेटों में प्रश्नपत्र वितरित कर परीक्षा आयोजित

की गई। तथा उत्तर पुस्तिकाओं पर परीक्षा केन्द्रों पर हायर सेकेण्डरी परीक्षा के समस्त विषयों में स्टीकर लगाकर रोलनंबर छिपाये गये। इससे छात्रों द्वारा अपनाये जाने वाले अनुचित साधन तथा ऐनकेन प्रकारेण पास होने हेतु अंकवृद्धि कराने जैसे अपराध प्रवृत्ति पर रोक लगी है तथा नकल प्रकरणों में निरंतर कमी आई है।

(छह) मेधावी छात्रों का सम्मान :–

वर्ष 1999 की परीक्षाओं में 40 मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया जावेगा। साथ ही प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त 18 शिक्षकों को भी मण्डल द्वारा 1001/– का चेक प्रशस्ति पत्र एवं शाल, श्रीफल द्वारा सम्मानित किया जावेगा।

(सात) व्यावसायिक शिक्षा :–

+2 हायर सेकेण्डरी स्तर तक व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान है। कृषि वाणिज्य एवं गृहविज्ञान विषयों में व्यावसायिक शिक्षा के 26 विषय पढ़ाये जा रहे हैं। मण्डल द्वारा पैरामेडिकल साईंस के अन्तर्गत 3 विषय क्रमशः एक्स–रे टेक्निीशियन, मेडिकल लैब टेक्नालॉजी एवं ऑक्जलरी नर्सिंग मिडवाइफरी के पाठ्यक्रम और प्रारंभ किये जाने के बाद वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत 29 विषय पढाये जा रहे हैं।

5. मण्डल की अन्य गतिविधियाँ –

(एक) फर्नीचर अनुदान – मण्डल से मान्यता प्राप्त संस्थाओं को फर्नीचर हेतु अनुदान दिया जाता है। अभी तक चालू सत्र 1999–2000 में कुल 10 संस्थाओं को रुपये – 70,000/– अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

(दो) शिक्षक कल्याण कार्यक्रम – मण्डल की मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों/उनके आश्रितों को गंभीर बीमारी के प्रकरण अथवा मृत्यु होने पर आंशिक आर्थिक सहायता आवेदन करने पर स्वीकृत की जाती है। चालू सत्र 1999–2000 में इस मद से अभी तक कुल – 14 शिक्षकों को रुपये – 90,000 अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

(तीन) "परीक्षक" पत्रिका का प्रकाशन – बुद्धिजीवियों,अध्यापको एवं विषयक विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध प्रकाशन योग्य रचनाओं को "परीक्षक" पत्रिका में प्रकाशित कर मान्यता प्राप्त संस्थाओं को परीक्षक का वितरण किया जाता है।

परीक्षक अंक 89 (जनवरी–मार्च) 2000 का प्रकाशन अंतिम चरण में है। इस अंक में मानव अधिकार के संबंध में विशेष सामग्री प्रकाशित की गई है। इसके पश्चात् दो अंकों में भी मानव अधिकार संबंधी रचनायें ही प्रकाशित की जायेंगी।

मण्डल निधि का संक्षिप्त विवरण

आय

प्राप्तियों का विवरण–अधिनियम धारा 10 एवं 11

(आंकड़े लाख रुपयों में)

स.क्र.	प्राप्तियों के शीर्ष	वास्तविक लेखा 1998–1999	बजट अनुमान 1999–2000	पुनरीक्षित अनुमान 1999–2000	बजट अनुमान 2000–2001
ए	परीक्षा शुल्क	1793.76	2018.96	2286.84	2464.69
बी	नामांकन	138.66	152.50	152.57	166.32
सी	मान्यता शुल्क	262.92	300.00	275.00	285.00
डी	प्रकाशन बिक्री	16.00	43.50	23.50	30.50
ई	पत्राचार पाठ्यक्रम	632.94	588.40	757.21	768.75
एफ	आदर्श विद्यालय	34.59	25.50	25.50	35.50
जी	सामान्य प्राप्तियां	44.35	47.00	47.00	53.00
एच	मुद्रणालय	10.79	0.10	1.00	1.00
	राजस्व योग	2934.01	3175.96	3568.62	3804.76
आई	पूंजीगत लेखा	165.50	233.00	182.00	208.00
जे	जमाधन लेखा	136.88	178.00	159.00	184.00
	कुल प्राप्तियां	3236.39	3586.96	3909.62	4196.76

मण्डल निधि का संक्षिप्त विवरण

व्यय

व्यय का विवरण अधिनियम धारा 12

(आंकडे लाख रुपयों में)

स. क्र.	लेखा	वास्तविक लेखा 1998–1999	बजट अनुमान 1999–2000	पुनरीक्षित अनुमान 1999–2000	बजट अनुमान 2000–2001
1	राजस्व				
ए	परीक्षा	693.17	841.25	978.65	1011.25
बी	शैक्षणिक	16.19	55.10	52.11	55.50
सी	पत्राचार पाठ्यक्रम	89.44	98.95	100.05	108.80
डी	आदर्श विद्यालय	179.00	216.65	219.65	240.43
ई	प्रशासन	1045.96	1148.70	1177.65	1410.05
एफ	संभागीय/आंचलिक कार्या. की (स्थापना)	389.78	441.00	445.00	519.70
जी	मुद्रणालय	309.72	418.60	418.60	477.25
	योग–राजस्व व्यय	2723.26	3220.25	3391.71	3822.98
2.	पूंजीगत लेखा				
एच	भवन निर्माण	162.99	84.65	123.95	110.00
आई	मुद्रणालय	0.00	5.00	5.00	35.00
जे	वाहन	0.00	8.00	8.00	8.00
के	फर्नीचर उपकरण	3.95	26.70	31.70	26.70
एल	आदर्श विद्यालय	13.31	25.10	16.10	25.10
एम	फर्नीचर हेतु अनुदान	11.30	30.00	30.00	30.00
	योग– पूंजीगत व्यय	191.55	179.45	214.75	234.80
3	जमाधन अग्रिम धन	120.66	159.00	159.00	188.00
	योग	3035.47	3558.70	3765.46	4245.78

ओपन स्कूल

'सबके लिये शिक्षा' के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैकल्पिक शिक्षा की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये म.प्र. मंत्री परिषद् के दिनांक 28–03–1995 को लिये गये निर्णय म.प्र. में प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिये म.प्र. राज्य ओपन स्कूल की स्थापना मई 1995 में की गई। वर्तमान में इसका कार्यालय टी.बी.सी. भवन, मा.शि.मण्डल परिसर, शिवाजी नगर, भोपाल में संचालित है।

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1973 (1973 का क्रमांक – 44) के अधीन दि. 11–08–95 को इसका पंजीयन कराया गया।

शिक्षा की इस लचीली पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य शिक्षित समाज के विकासार्थ शाला अप्रवेशी, शाला त्यागी, औपचारिकेतर शिक्षा त्यागी बच्चों, नवसाक्षरों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित वर्गों के बालक–बालिकाओं को दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना एवं जहां आवश्यक हो शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। साथ ही उन दूरस्थ अंचलों के निवासियों हेतु जो शिक्षा की मूल सुविधाओं से वंचित हैं, शिक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था करना है।

कार्यकलाप –मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल में कक्षा 10वीं एवं 12 वीं की वर्ष में दो बार परीक्षायें आयोजित करने का प्रावधान है। वर्ष 1999 की प्रथम परीक्षा मई 1999, प्रदेश के 26 जिलों के 89 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गई। इस परीक्षा में म.प्र. राज्य ओपन स्कूल की इससे पूर्व हुई सभी परीक्षाओं के अनुत्तीर्ण छात्र सम्मिलित हुये परीक्षाओं का आयोजन निर्विघ्न किया जाकर छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य सम्पन्न कराया गया। इन परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाकर सभी छात्रों को उनकी अंकसूचियां उपलब्ध कराई जा चुकी है। इस परीक्षा में कक्षा 10 वीं में लगभग 3488 एवं कक्षा 12 वीं में 610 छात्र सम्मिलित हुये।

वर्ष 1999 का प्रवेश सत्र ढाई माह, 16 अगस्त से 31 अक्टूबर 1999 तक संचालित किया गया। प्रदेश के 226 अध्ययन केन्द्रों में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की गई। कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं के प्रत्येक छात्र के विषयवार न्यूमेरिकल रिटर्न तैयार किये जाकर इन छात्रों के लिये अध्ययन सामग्री की प्राप्ति के लिये राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, नई दिल्ली से पत्र व्यवहार किया जा चुका है तथा निकट भविष्य में अध्ययन सामग्री प्रत्येक छात्र को उपलब्ध करा दी जायेगी।

प्रवेश वर्ष 1999 से म.प्र. राज्य ओपन स्कूल के प्रवेशित छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष 15565 छात्रों द्वारा कक्षा 10वीं में एवं 3830 छात्रों द्वारा कक्षा 12वीं में प्रवेश प्राप्त किया गया है। इस प्रकार कुल 19395 छात्रों द्वारा प्रवेश लिया गया।

वर्ष 1999 के द्वितीय सत्र की परीक्षायें नवम्बर–दिसम्बर 1999 में आयोजित की गई ये परीक्षायें राज्य के 38 जिलों के 94 परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक 19–11–99 से दि. 4–12–99 तक निर्विघ्न सम्पन्न हो चुकी है। इन परीक्षाओं के लिये गोपनीय सामग्री मुख्यालय भोपाल से वाहनों के द्वारा प्रेषित की गई। तथा गोपनीय सामग्री का परीक्षा केन्द्रों पर वितरण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के माध्यम से कराया गया। परीक्षाओं के सुचारु संचालन के लिये जिलाधीशों, पुलिस अधीक्षकों एव जिला शिक्षा अधिकारियों को विशष अनुरोध पत्र भी प्रेषित किये गये जिसके प्रकाश में जिलाधीशों द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों (अनुविभागीय अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर,तहसीलदार) को इस बाबत् आवश्यक निर्देश भी जारी किये गये इस संदर्भ में संचालक लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल के माध्यम से भी जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों को परीक्षा के सुचारु संचालन के लिये निर्देश प्रसारित कराये गये।

म.प्र. राज्य ओपन स्कूल के अधिकारियों के द्वारा भी विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

वर्तमान में उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य रेकार्ड समय में पूर्ण करा लिया गया है। तथा परीक्षा परिणाम कम्प्यूटर के द्वारा तैयार किये जाने की कार्यवाही जारी है। संभवतः इन परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम आगामी एक सप्ताह में घोषित कर दिये जायेंगे। तत्पश्चात् सभी छात्रों को अंकसूचियां प्रेषित कर दी जायेंगी। इन परीक्षाओं में कक्षा 10 वीं में लगभग 7355 एवं 12 वीं में 1760 परीक्षार्थी सम्मिलित हुये।

वर्ष 1999 की परीक्षाओं में सम्मिलित छात्र संख्या एवं परीक्षा परिणाम निम्नानुसार हैं :–

वर्ष	पाठ्यक्रम	सम्मिलित छात्र	5 विषय में उत्तीर्ण छात्र	1 से 4 विषयों में उत्तीर्ण छात्र
प्रथम सत्र 99	हाईस्कूल	3488	2126	1223
	हायर सेकेण्डरी	610	351	192
द्वितीय सत्र 99	हाईस्कूल	7355	परिणाम अपेक्षित	
	हायर सेकेण्डरी	1760	परिणाम अपेक्षित	

प्रवेश सत्र 1999 में प्रवेश प्राप्त छात्रों का विवरण :–

कक्षा 10 वीं	कक्षा 12 वीं	कुल छात्र संख्या
15565	3830	19395

National University of Educational Planning and Administration
Acc. No.
Date :
Documentation Centre

शाकमुभा—1222—मंलोशसं—11-2-2000—800.